राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 158वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 158वीं बैठक दिनांक 25/10/2023 को अपरान्ह 02:30 बजे संपन्न हुई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 157वीं बैठक दिनांक 18/10/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 157वीं बैठक दिनांक 18/10/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 481वीं एवं 482वीं बैठक क्रमशः दिनांक 11/08/2023 एवं 23/08/2023 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मैसर्स नर्मदा मिनरल्स (किरना डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर– श्री मोहन लाल अग्रवाल), ग्राम–किरना, तहसील–फरसिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1451)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57800/2020, दिनांक 31/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428088/2023, दिनांक 13/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरना, तहसील–फरसिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 486, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 490/1 एवं 490/4, कुल क्षेत्रफल–4.83 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–2,00,212.5 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1930 दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 588, दिनांक 18/07/2022 द्वारा पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1830 दिनांक 04/02/2021 से जारी टी.ओ.आर. में "आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.438 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 12.268 हेक्टेयर है" के स्थान पर "आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.345 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर" हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन लाल अग्रवाल, डोमराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स डोन्नीजेस रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली चमाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत किरना का दिनांक 07/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रभा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1372/2/खनि/डोलोमाईट/उ.यो./2020 बिलासपुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/2000/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.345 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/808/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेललाईन, नहर, भवन, स्कूल, धार्मिक स्थल, मरघट, अस्पताल, पुल, कलवर्ट, बांध, नल–जल योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, आबादी क्षेत्र, अस्पताल, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। पक्की सड़क 65 मीटर एवं बरसाती नाला 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. नर्मदा मिनरल्स के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 517/खनि 02/न.क.03/2020–21 मुंगेली, दिनांक 29/07/2020 द्वारा जारी की गई,

जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1896/खनि 02/ग. क्र. 03/2020–21 मुंगेली, दिनांक 27/01/2022 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 27/07/2022) हेतु वैध थी। तदोपरांत एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 75/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 25/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला मुंगेली को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 486, 479/1, 479/2, 483/3, 487/4, 488/3 व 490/1 श्री मोहन लाल अग्रवाल, खसरा क्रमांक 479/3 श्री दुर्विजय राम, खसरा क्रमांक 482/2 व 489/2 मेसर्स नर्मदा मिनरल्स, खसरा क्रमांक 487/2 श्रीमती रूपा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 480/1, 480/2, 480/3, 480/4 व 486/2 श्री मनीष कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 480/4 श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 483/2 व 487/3 श्री भागवत प्रसाद एवं खसरा क्रमांक 489/1 श्रीमती प्रमेला अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत किए गए है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमण्डल, जिला–मुंगेली के ज्ञापन/म.वि./860/2021 मुंगेली, दिनांक 13/04/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 47 कि.मी. की दूरी पर है। साथ ही आवेदित क्षेत्र की सीमा से निकटतम वन्यजीव अभ्यारण अचानकमार टाईगर रिजर्व की दूरी 47 कि. मी. है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–किरना 355 मीटर, लघुतम ग्राम–किरना 1.15 कि.मी. एवं अस्पताल सारगांव 5.3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 440 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.2 कि.मी. दूर है। सिंचाई नहरी 3.30 कि.मी., सिंकुआ नाला 50 मीटर एवं तालाब 870 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संभावना एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 32,80,287 टन माईनेबल रिजर्व 17,94,543 एवं रिकवरेबल रिजर्व 17,04,816 टन है। लीज की 7.5 मीटर सीढ़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल

8,145 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 14,992.5 घनमीटर है, जिसमें से 2,293 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पौधारोपण वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष 12,700 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 311/1, 313/1, 313/4, 365/2 एवं 479/1 में संरक्षित किया जाएगा। बैंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,040.63	षष्टम	1,50,693.75
द्वितीय	1,97,926.56	सप्तम	1,50,800.63
तृतीय	2,00,212.50	अष्टम	1,51,406.25
चतुर्थ	1,99,856.25	नवम	1,51,762.50
पंचम	1,99,500.00	दशम	1,52,332.50

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,788 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 1,800 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित होने के कारण 7.5 मीटर की पट्टी में 1,309 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, 345 नग वृक्षारोपण लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 492/1, 492/2, 492/4, 494/1, 494/2 एवं 493) में किया जाएगा एवं 115 नग वृक्षारोपण नाले (खसरा क्रमांक 369 एवं 404/1) के तरफ किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी, लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 492/1, 492/2, 492/4, 494/1, 494/2	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,94,500	17,600	17,600	17,600	17,600
	फेंसिंग हेतु राशि	1,96,625	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	88,450	88,450	88,450	88,450	88,450

एवं 492) एवं 404/1) में कुल 1,799 नग वृक्षारोपण हेतु	सिंचाई, रख–रखाव आदि हेतु राशि	1,90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
कुल राशि = 14,43,776		8,59,576	1,96,050	1,96,050	1,96,050	1,96,050

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्लंघन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 8,145 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,800 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उल्लंघित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

एवज के संदर्भ परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में आवेदित क्षेत्र के दक्षिण–पूर्व दिशा के भाग में खसरा क्रमांक 483/2, 483/3, 489/1 एवं 490/1 रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 30/01/2017 से दिनांक 29/01/2019 की अवधि हेतु हाई–टेक रॉक प्रोडक्ट एण्ड अग्रीगेट लिमिटेड कुर्ला गेल चकाला अंधेरी (पूर्व) मुंबई को अनुज्ञा पत्र स्वीकृत था। हाई–टेक रॉक प्रोडक्ट एण्ड अग्रीगेट लिमिटेड को खसरा क्रमांक 483/2, 483/3, 489/1 एवं 490/1 रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर जिला स्तरीय पर्यावरण सलाहकार प्राधिकरण जिला मुंगेली के द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 8(ख) के तहत् खनिज निरीक्षक द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार हाई–टेक रॉक प्रोडक्ट एण्ड अग्रीगेट लिमिटेड की खदान में 6 मीटर की गहराई गड्ढा होना बताया गया है।

हाई–टेक रॉक प्रोडक्ट एण्ड अग्रीगेट लिमिटेड के द्वारा पूर्व में खसरा क्रमांक 483/2, 483/3, 489/1 एवं 490/1 पर पत्थर खनन किये जाने के कारण वर्तमान में आपके समक्ष आवेदित क्षेत्र के भाग में एक गड्ढा दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः लीज क्षेत्र में विद्यमान गड्ढे में किए गए खनन कार्य का वर्तमान में आवेदक मेसर्स नर्मदा मिनरल्स (पार्टनर– श्री मोहन लाल अग्रवाल) के किसी प्रकार के संबंध के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि उल्लंघित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गौण कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	15	46	60
PM_{10}	51	73	100
SO_2	6	27	80
NO_2	14	38	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:– ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	41.4	55.3	75
Night L_{eq}	37.2	47.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 25 नवम्बर 2022 से 10 जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m3)
$PM_{2.5}$	13	42	60
PM_{10}	50	75	100
SO_2	7	21	80
NO_2	13	35	80

vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	42.1	54.2	75
Night L_{eq}	38.2	48.3	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

viii. पी.सी.यू. की गणना– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 766 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.22 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 88 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 855 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.24 होगी। रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेरिंग क्षमता निर्धारित मानक (VERY GOOD) के भीतर है।

ix. जी.एल.सी. की गणना– खनन, लोडिंग–अनलोडिंग, भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों के परिवहन को सम्मिलित करते हुये जी.एल.सी. (GLCs) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार PM_{10} का अधिकतम मान 77.08 $\mu g/m^3$ है एवं $PM_{2.5}$ का अधिकतम मान 42.10 $\mu g/m^3$ है, जो कि निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 13/10/2022, अपरान्ह 11:00 बजे, स्थान – प्राथमिक शाला भवन, दरबनकांपा, तहसील–कथलिया, जिला–मुंगेली में संपन्न हुई। लोक सुनवाई उपखण्ड अधिकारी सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 17/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. खदान के कारण भू–जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे गर्मियों के दिनों में तालाब का पानी सूख जाता है। खदान से पाईप के जरिये पानी तालाब में लाया जाए।

ii. आस पास के गावों में खदान के कारण खेती में फसल उत्पादन नहीं हो रहा है।

iii. हमारा घर खदान के बिलकुल नजदीक है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खनन गड्ढे में एकत्रित वर्षा जल की आवश्यकता पड़ने पर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

ii. ई.एम.पी. के तहत् वृक्षारोपण किया जाएगा एवं धूल प्रदूषण से बचने के लिए जल का छिड़काव किया जाएगा जिससे की फसल उत्पादन प्रभावित न हो।

iii. लीज क्षेत्र के भीतर एवं लीज क्षेत्र के 200 मीटर के भीतर कोई घर नहीं है। डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर द्वारा वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित ब्लास्ट करवाया जाएगा। जिससे आस पास के घरों पर असर नहीं पड़ेगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 4 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 480 मीटर		90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
क्लस्टर पहुंच मार्ग (1.04 कि. मी.) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग (NH–130 में 1 कि. मी.) के दोनों तरफ (1,360 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,49,600	13,600	13,600	13,600	13,600
	कॉलोन हेतु राशि	1,36,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000
इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग (Half Yearly)		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़क/पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु		60,400	60,400	60,400	60,400	60,00
ऐरेय पेकेजिंग कैम्पा फॉर डिलेजर्स		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 28,82,000		**8,14,000**	**5,42,000**	**5,42,000**	**5,42,000**	**5,42,000**

कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)

प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग के उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 560 मीटर।	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
560 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (274 नग) वृक्षारोपण हेतु	1,50,000	75,000	75,000	75,000	75,000
इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग (Half Yearly)	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
सड़क/पहुंच मार्ग के रख-रखाव हेतु	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
हेल्थ चेकअप कैम्प फॉर लेबरर्स	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
कुल राशि = 9,50,000	2,50,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
174.15	2%	3.48	Following activities at Village- Kima	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	3.79
			Total	3.79

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (आमुन एवं आम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 80 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में 13 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 80 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 12,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,03,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,76,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत किमा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 608) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

24. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 5 मीटर की ऊँचाई तक भंडारित किया जाएगा। शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना के जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जायेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. खदानी जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जायेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जायेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

vi. यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 870 मीटर तथा नहर 1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 4 के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

33. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

36. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जावेगा जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति कि जावेगी, इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

38. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.15 कि.मी., अस्पताल 6.3 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 355 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे:–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में बाड़ी और सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के नियंत्रण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जायेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

vi. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का प्राउंड लेवल कन्सेंट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।

vii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

ix. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELING के अनुसार क्रशर, परिवहन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण केन्द्रों के संयुक्त परिणाम, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।

40. जारी टी.ओ.आर. अनुसार परियोजना प्रस्तावक को ब्लास्टिंग कार्य हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना था, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि बिना लीज एग्रीमेंट के ब्लास्टिंग हेतु किये गये आवेदन को डी.जी.एम.एस. द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। पर्यावरण स्वीकृति मिलने एवं लीज एग्रीमेंट के उपरांत ब्लास्टिंग हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति लिया जाएगा।

41. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उल्लंघन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाना आवश्यक है।

42. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/2000/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.346 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का क्षेत्रफल 4.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 16.875 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स नर्मदा मिनरल्स (किरना डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर– श्री मोहन लाल अग्रवाल) को ग्राम–किरना, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 466, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 490/1 एवं 490/4 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.83 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–2,00,212 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स नर्मदा मिनरल्स (किरना डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर– श्री मोहन लाल अग्रवाल) को

निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन परिक्षेत्रों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत, ई.एम.पी. के तहत तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. उल्लेखित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्वास प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. **मेसर्स मितला मिनरल्स (लमती डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर– श्री मनीष कुमार अग्रवाल), ग्राम–लमती, तहसील–फरसिया, जिला–मुंगेली (छत्तीसगढ़ का नक्शा क्रमांक 1453)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57902/2020, दिनांक 31/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 426189/2023, दिनांक 13/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लमती, तहसील–फरसिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 42, 76, 83, 84, 85/1, 85/2, 89 शामिल 88, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 96, 96/1, 98/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122 एवं 123, कुल क्षेत्रफल–4.819 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,01,316.88 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1832, दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 48, दिनांक 18/04/2022 द्वारा पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1832, दिनांक 04/02/2021 से जारी टी.ओ.आर. में "आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 12.245 हेक्टेयर है" के स्थान पर "आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.056 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर" हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभिषेक अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉनसिजेंस रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली यादव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दरबनकांप का दिनांक 10/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1373/2/खनि/डीएलसाईट/उ.यो./2020 बिलासपुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1886/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 5 खदानें, क्षेत्रफल 12.056 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/804/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 मीटर, रेल ब्रिज 130 मीटर एवं बरसाती नाला 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. शीतला मिनरल्स के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 513/खनि 02/न.क्र. 01/2020–21 मुंगेली, दिनांक 29/07/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक की। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1886/खनि 02/न.क्र. 01/2020–21 मुंगेली, दिनांक 27/01/2022 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 27/01/2022) हेतु वैध थी। तदोपरांत एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 78/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 25/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण नियम, 2015 के नियम 42(6) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला मुंगेली को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 42, 83 व 84 श्री मोहन लाल अग्रवाल एण्ड संस, खसरा क्रमांक 78, 91/1, 103/2 व 123 श्री मोहन लाल अग्रवाल, खसरा क्रमांक 85/1, 93 व 95/2 श्रीमती उषा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 85/2, 90, 96, 101, 103/1, 107 व 118 श्री मनीष कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 89 सामिल 88 श्री जोगीराम ध्रुव, खसरा क्रमांक 91/2 श्री रामकुमार, खसरा क्रमांक 92, 94, 104, 105 व 106 श्री गोविन्द अग्रवाल, खसरा क्रमांक 98 श्री बसेला प्रसाद, खसरा क्रमांक 99/1 व 122 श्री गोविन्द अग्रवाल एण्ड संस, खसरा क्रमांक 99/2 श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 100 व 102 श्रीमती रूपा

अदयाल एवं खसरा क्रमांक 119 व 120 की खसरा, श्री जेठू सुश्री कांति, सुश्री चुन्नीबाई तथा सुश्री मुन्नीबाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू-स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत किए गए है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमण्डल, जिला-मुंगेली के ज्ञापन/म.वि./862/2021 मुंगेली, दिनांक 13/04/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 52 कि.मी. की दूरी पर है। साथ ही आवेदित क्षेत्र की सीमा से निकटतम वन्यजीव अभ्यारण अचानकमार टाईगर रिजर्व की दूरी 47 कि. मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली की दूरी 80 कि.मी. है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-लमती 420 मीटर, स्कूल किरना 1.8 कि.मी. अस्पताल सारगांव 8.9 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 मीटर एवं राज्यमार्ग 12.8 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 2.4 कि.मी., सिंघुआ नाला 50 मीटर एवं तालाब 530 मीटर कि दूरी पर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 32,91,387 टन माईनेबल रिजर्व 17,23,881 एवं रिकवरेबल रिजर्व 16,37,497 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,765 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। खनी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 11,027.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रवाह स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जीरो डैमेज से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,169.06	षष्टम	1,37,013.75
द्वितीय	1,98,253.13	सप्तम	1,37,085.00
तृतीय	1,99,620.63	अष्टम	1,36,621.88
चतुर्थ	2,00,390.63	नवम	1,37,868.75
पंचम	2,01,316.88	दशम	1,38,937.50

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 2,045 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 1,730 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित होने के कारण 7.5 मीटर की पट्टी में 1,407 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, 638 नग वृक्षारोपण लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 88 सामिल 89, 95/1, 96, 97, 98/2, 124 एवं 126/2) में किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 88 सामिल 89, 95/1, 96, 97, 98/2, 124 एवं 126/2) में कुल 2,045 नग वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,24,900	20,400	20,400	20,400	20,400
	कीटिंग हेतु राशि	1,70,375	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,02,250	1,02,250	1,02,250	1,02,250	1,02,250
	सिंचाई, रख-रखाव आदि हेतु राशि	1,90,475	90,350	90,350	90,350	90,350
कुल राशि = 15,40,000		6,88,000	2,13,000	2,13,000	2,13,000	2,13,000

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 8,765 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,730 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

उक्त के संदर्भ परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में आवेदित क्षेत्र के मध्य एवं पश्चिम दिशा के भाग में खसरा क्रमांक 90, 91/1, 91/2, 95/1 एवं 95/2 रकबा 0.8 हेक्टेयर क्षेत्र पर एवं खसरा क्रमांक 94, 99, 100, 101 एवं 102 रकबा 0.950 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 02/02/2017 से दिनांक 01/03/2019 की अवधि हेतु मेसर्स बेक बोन उत्कल (जे.वी.) लिमिटेड को अनुज्ञा पत्र स्वीकृत था। मेसर्स बेक बोन उत्कल (जे.वी.) लिमिटेड को खसरा क्रमांक 90, 91/1, 91/2, 95/1 एवं 95/2 रकबा 0.8 हेक्टेयर क्षेत्र पर एवं खसरा क्रमांक 94, 99, 100, 101 एवं 102 रकबा 0.950 हेक्टेयर क्षेत्र पर जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन प्राधिकरण जिला बुंदेली के द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6(ख) के तहत् खनिज निरीक्षक द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार मेसर्स बेक बोन उत्कल (जे.वी.) लिमिटेड की खदान में 6 मीटर की गहराई गड्ढा होना बताया गया है।

मेसर्स डेक बीन ग्रानल (जी.बी.) लिमिटेड के द्वारा पूर्व में खसरा क्रमांक 90, 91/1, 91/2, 95/1 एवं 95/2 तथा खसरा क्रमांक 94, 99, 100, 101 एवं 102 पर पत्थर खनन किये जाने के कारण वर्तमान में आपके समक्ष आवेदित क्षेत्र के भाग में एक गड्ढा दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः लीज क्षेत्र में विद्यमान गड्ढे में किए गए खनन कार्य का वर्तमान में आवेदक मेसर्स सिलता मिनरल्स (पार्टनर- श्री मनीष कुमार अग्रवाल) से किसी प्रकार के संबंध के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि उल्लेखित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्वास प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:-**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	15	48	60
PM_{10}	51	73	100
SO_2	6	27	80
NO_2	14	38	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:-** ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:-**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	41.4	55.3	75
Night L_{eq}	37.2	47.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 26 नवम्बर 2022 से 10 जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m3)
$PM_{2.5}$	13	42	60
PM_{10}	50	75	100
SO_2	7	21	80
NO_2	13	35	80

vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	42.1	54.2	75
Night L_{eq}	38.2	48.3	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

viii. पी.सी.यू. की गणना– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 786 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.22 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 69 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 855 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.24 होगी। रॉ-मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेरिंग क्षमता निर्धारित मानक (VERY GOOD) के भीतर है।

ix. जी.एल.सी. की गणना– खनन, लोडिंग–अनलोडिंग, भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों के परिवहन को समाहित करते हुये जी.एल.सी. (GLCs) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार PM_{10} का अधिकतम मान 77.08 µg/m^3 है एवं $PM_{2.5}$ का अधिकतम मान 42.10 µg/m^3 है, जो कि निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 13/10/2022, अपरान्ह 11:00 बजे, स्थान – प्राथमिक शाला भवन, दरबनशांत, तहसील–फखरिया, जिला–मुंगेली में संपन्न हुई। लोक

सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 17/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं–**

i. खदान के कारण भू–जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे गर्मियों के दिनों में तालाब का पानी सूख जाता है। खदान से पाईप के जरिये पानी तालाब में लाया जाए।

ii. आस पास के गावों में खदान के कारण खेती में फसल उत्पादन नहीं हो रहा है।

iii. हमारा घर खदान के बिलकुल नजदीक है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है–

i. खनन गड्ढे में एकत्रित वर्षा जल को आवश्यकता पड़ने पर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

ii. ई.एम.पी. के तहत् वृक्षारोपण किया जाएगा एवं धूल प्रदूषण से बचने के लिए जल का छिड़काव किया जाएगा जिससे की फसल उत्पादन प्रभावित न हो।

iii. लीज क्षेत्र के भीतर एवं लीज क्षेत्र के 200 मीटर के भीतर कोई घर नहीं है। डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर द्वारा वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित विस्फोट करवाया जाएगा। जिससे आस पास के घरों पर असर नहीं पड़ेगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 4 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 480 मीटर		90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
क्लस्टर पहुंच मार्ग (1.04 कि.मी.) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,49,600	13,600	13,600	13,600	13,600
	डेसिंग हेतु राशि	1,36,000	–	–	–	–

(NH–130 से 1 कि. मी.) के दोनों तरफ (1.360 नग) वृक्षारोपण हेतु	खाद हेतु राशि	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग (Half Yearly)		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़क/पहुँच मार्ग के रख–रखाव हेतु		60,400	60,400	60,400	60,400	60,00
हेल्थ केयरअप कैम्प फॉर विलेजर्स		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 29,82,000		**8,14,000**	**5,42,000**	**5,42,000**	**5,42,000**	**5,42,000**

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 582 मीटर।	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
582 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (388 नग) वृक्षारोपण हेतु	1,56,000	78,000	78,000	78,000	78,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग (Half Yearly)	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
हेल्थ केयरअप कैम्प फॉर विलेजर्स	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
कुल राशि = 9,93,000	**2,61,000**	**1,83,000**	**1,83,000**	**1,83,000**	**1,83,000**

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
102.6	2%	2.052	Following activities at,	

			Village- Lanti	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	2.28
			Total	2.28

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (जामुन एवं आम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार 70 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में 10 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 60 नग पौधों के लिए राशि 6,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 38,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 60,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,88,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दल्लनकोना के सहमति उपरांत व्यारोप्य स्थान (खसरा क्रमांक 237) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. ऊपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर एवं मात्रा 11,027.5 घनमीटर है। जिसमें से 2,467 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष 8,560.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 18 एवं 22, रकबा 0.401 हेक्टेयर) में संरक्षित किया जाएगा।

24. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

25. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

26. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भंडारित किया जाएगा। शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, बिक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बालमुट्टी पिसवर्क द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्त्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:–

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत मई नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर पारमैंक ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतों में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार प्राणियों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 630 मीटर तथा नहर 1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 4 के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

34. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S)

Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

37. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जावेगा जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति कि जावेगी, इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

38. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

39. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.80 कि.मी., अस्पताल 5.50 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 420 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के नियंत्रण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में वृक्ष लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. आवेदन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का प्राउंड लेवल कन्सेंट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।

vii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

ix. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELING के अनुसार क्रशर, परिवहन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण केन्द्रों के संयुक्त परिणाम, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।

41. जारी टी.ओ.आर. अनुसार परियोजना प्रस्तावक को क्लासिंग कार्य हेतु जी.जी.एम.एस. से अनुमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना था, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि बिना लीज एग्रीमेंट के क्लासिंग हेतु किये गये आवेदन को जी.जी.एम.एस. द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। पर्यावरण स्वीकृति मिलने एवं लीज एग्रीमेंट के उपरांत क्लासिंग हेतु जी.जी.एम.एस. से अनुमति लिया जाएगा।

42. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाना आवश्यक है।

43. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार बिन्दुओं उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1869/खनि-03/2021-22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.058 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-लमती) का क्षेत्रफल 4.818 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-लमती) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 16.875 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्वास प्लान (Restoration plan) एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स जिंदल मिनरल्स (लमती डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर– श्री मनीष कुमार अग्रवाल) को ग्राम–लमती, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 42, 79, 83, 84, 85/1, 85/2, 89 शामिल 88, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 96, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122 एवं 123 में स्थित डोलोमाईट (चीप खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.619 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–2,01,316 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स जिंदल मिनरल्स (लमती डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर– श्री मनीष कुमार अग्रवाल) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. उत्खनन हेतु आवंटित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत राष्ट्र के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की होगी, इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स कल्पा मिनरल्स (प्रो.– श्री मुकेश कुमार तिवारी), ग्राम–जयरामनगर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1474)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /58737/2020, दिनांक 30/11/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/433183/2022, दिनांक 13/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जयरामनगर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 720, 721, 722/8, 733, 734/1, 734/2, 734/5 एवं 734/6, कुल क्षेत्रफल–2.000 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता–40,000.00 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कपिलेन्द्र शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉन्सीजेंस विजर्व इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा उत्तरप्रदेश की ओर से श्री अंजली पधारे उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन एवं प्रवहन की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत जयरामनगर का दिनांक 25/11/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **खनन योजना –** खनी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–कवर्धा-बालाघाट के ज्ञापन क्रमांक 2847/ख.नि./लीज–1/2018 कवर्धाबाजार, दिनांक 22/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/1738/ख.नि./न.क./2020 बिलासपुर, दिनांक 04/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 5.881 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/2341/ख.नि./न.क./2021 बिलासपुर, दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। चकरी सड़क 130 मीटर की दूरी पर है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/133/खनि/उ.प./2018 बिलासपुर, दिनांक 20/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौगोलिक तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के अपील प्रकरण क्रमांक 12/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए जिला कार्यालय (खनिज शाखा) बिलासपुर के पत्र दिनांक 20/04/2018 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता मेसर्स कानहा मिनरल्स प्रा.**

मुकेश कुमार मिश्रानी, निवासी गुरूनानक चौक तोरवा जिला बिलासपुर द्वारा क्रय लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/08/2020 के परिपेक्ष में उक्त प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बिलासपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (श्रीमती शीला रानी सिंह, ग्राम–जयरामनगर, खसरा क्रमांक 262/1, रकबा 3.5 एकड़) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर, वनमण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन/मा.वि./3881 बिलासपुर, दिनांक 24/08/2004 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जयरामनगर 500 मीटर, स्कूल ग्राम–जयरामनगर 820 मीटर एवं अस्पताल जयरामनगर 2.10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.40 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है। लीलागर नदी 4.8 कि.मी., अरपा नदी 5.6 कि.मी., मोतली नाला 4.5 कि.मी., तालाब 300 मीटर एवं नहर 210 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,49,280 टन, माईनेबल रिजर्व 3,03,314 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,72,982 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,054.58 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,010.14 घनमीटर है, जिसमें से 2,274 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीम पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा, शेष 8,746 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 743/1 एवं 743/6 में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,251.66 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	49,977.53
द्वितीय	49,999.95
तृतीय	2,477.48
चतुर्थ	2,422.88
पंचम	2,384.53

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं खसरा क्रमांक 743/2, 732 एवं 731/1 में 1,830 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान की बाउण्ड्री एवं खसरा क्रमांक 743/2, 732 एवं 731/1 में (1,830 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,79,300	16,300	16,300	16,300	16,300
	फेंसिंग हेतु राशि	1,67,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500
	सिंचाई, रख–रखाव आदि हेतु राशि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 15,19,000		5,67,800	2,37,800	2,37,800	2,37,800	2,37,800

उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण, फेंसिंग व पौधों के रख–रखाव किये जाने बाबत् भूमि स्वामियों शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के कुछ भाग में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध जांच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 दिसम्बर 2020 से 28 फरवरी 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	20	41	60
PM_{10}	42	73	100
SO_2	5	13	80
NO_2	10	25	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	34.4	45.3	75
Night L_{eq}	29.1	36.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के सत्यापन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 25 नवम्बर 2022 से 25 दिसम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. **अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m3)
$PM_{2.5}$	21	42	60
PM_{10}	43	75	100
SO_2	5	17	80
NO_2	10	27	80

vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	35.8	45.5	75
Night L_{eq}	29.4	33.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

viii. पी.सी.यू. की गणना– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 222.5 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.037 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 71.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 294 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

ix. जी.एल.सी. की गणना–

S No.	Parameters	Baseline at project site (µg/m3)	Predicted GLC (µg/m^3) Aermod Model	Total GLC (µg/m^3)
1.	PM_{10}	73	5.87261	78.87
2.	$PM_{2.5}$	40	3.69	43.69
3.	SO_2	13	2.05	15.05
4.	NO_2	21	1.23	22.23

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 30/09/2022, पूर्वान्ह 12:00 बजे, स्थान – जयरामनगर स्टेडियम, जयरामनगर तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 21/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–

i. हमारे ग्राम में बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। ग्रामवासी बेरोजगार हो चुके है।

ii. हमारा खेत खदान के नजदीक में है, 50 एकड़ जमीन बरबाद हो गया है, मिट्टी को खेत में फेंक देते है। सबको रोजी रोटी मिलेगा कहते है पर सब काम तो मशीन से होता है।

iii. हमारा खेत खदान से लगा हुआ है। खदान खुलने से आपत्ति है। नाली जाम हो गया है तथा नाली से मिट्टी निकलवाया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. छत्तीसगढ़ शासन की आवास पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय प्रार्थियों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा।

ii. आवेदित खदान निजी भूमि पर है, आस-पास की जमीनों, बफर जोन में, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, पानी की गुणवत्ता आदि पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत् जाँच की जावेगी एवं उचित निराकरण किया जावेगा।

iii. जलप्रवाह को सुचारु रखने के लिए खदान के चारों ओर उचित नाली का निर्माण किया जावेगा।

16. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 3.4 कि.मी.		2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000
क्लस्टर पहुंच मार्ग (3,400 मीटर) के दोनों तरफ (2,268 पेड़) वृक्षारोपण हेतु	ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट	8,83,000	3,28,000	3,28,000	3,28,000	3,28,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़कों / पहुंच मार्ग के संधारण हेतु		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
हेल्थ चेकअप कैम्प		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 45,37,000		**13,61,000**	**7,94,000**	**7,94,000**	**7,94,000**	**7,94,000**

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 1,175 मीटर।					
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
हरित पट्टिका के विकास हेतु सामान्य मार्ग के दोनों तरफ (754 नग) वृक्षारोपण हेतु	3,38,000	1,42,000	1,42,000	1,42,000	1,42,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ईएमपी पैकेज बैन्च	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
कुल राशि = 13,31,000	**4,23,000**	**2,27,000**	**2,27,000**	**2,27,000**	**2,27,000**

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
76.37	2%	1.51	Following activities at, Village- Jairamnagar	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	1.53
			Total	1.53

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (जामुन एवं आम की विभिन्न प्रजातियों के) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों के लिए राशि 9,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 28,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 49,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,53,000 रुपये हेतु पृथकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जयरामनगर के सहमति उपरांत तालाब (खसरा क्रमांक 245) के चारों ओर वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

23. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरेखित कर प्रस्तुत किया गया है।

24. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक संधारित किया जाएगा। शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित

किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. ब्लास्टिंग का कार्य जी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पर्याप्तिरिक्त डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्त्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोत में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

vi. तथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 300 मीटर तथा नहर 210 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जाएगा।

32. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 570 मीटर, अस्पताल 3 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 500 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. आवेदन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का प्रदूषण लेवल कन्सेंट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।

vii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

ix. आवेदन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELING के अनुसार प्रसार, परिवहन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण केन्द्रों के संयुक्त

परिणाम, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के नीचे पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।

34. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जावेगा जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति कि जावेगी, इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

39. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/1738/खनि./भू.अ./2020 बिलासपुर, दिनांक 04/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 5.081 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-जवरामनगर) का क्षेत्रफल 2.995 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-जवरामनगर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.076 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जीव उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कान्हा मिनरल्स (प्रो.– श्री मुकेश कुमार खिरानी) को ग्राम–जयरामनगर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 720, 721, 722/8, 733, 734/1, 734/2, 734/5 एवं 734/6 में स्थित चूना पत्थर (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.995 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–49,999 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स कान्हा मिनरल्स (प्रो.– श्री मुकेश कुमार खिरानी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफस सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant)

के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् विधिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. मैसर्स श्री अरविन्द सोनी (अकलतरा डोलोमाईट माईन), ग्राम–अकलतरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (वर्तमान में जिला–सक्ती) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1426)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /500229/2020, दिनांक 22/12/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/432474/2023, दिनांक 13/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (चीप खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकलतरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (वर्तमान में जिला–सक्ती) स्थित खसरा क्रमांक 1283/1, कुल क्षेत्रफल–4.047 हेक्टेयर में है। खदान की अवेदित उत्खनन क्षमता – 17,500 टन प्रतिवर्ष से 2,49,020 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/04/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित), जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कोन्सीजेंस रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली पधारे उपस्थित हुए। समिति द्वारा गवाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक 1263/1, कुल क्षेत्रफल-4.047 हेक्टेयर, क्षमता-17,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 16/03/2016 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 21/09/2022 को किया गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 03/04/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की गई।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 2188/खनि./2022 जांजगीर, दिनांक 04/08/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2016-17	11,000
2017-18	15,500
2018-19	15,000
2019-20	16,000
2020-21	15,500
2021-22	17,500

   समिति का मत है कि अप्रैल 2022 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – क्रशर की स्थापना एवं उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अकलतरा का दिनांक 08/08/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – संशोधित त्रवारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3812/माईनिंग-2/क्यू.पी./एफ.नं.100/2015 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक/2175/खनि./नं.क./2020 जांजगीर,

दिनांक 18/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.469 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/2174/खनि./ने.क./2020 जांजगीर, दिनांक 18/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बरसाती नाला 50 मीटर दूरी पर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अरविन्द सोनी के नाम पर है। लीज डीड 50 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/07/2016 से 19/07/2066 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/ ख.नि./ 1396/ 2006/ चांपा, दिनांक 13/03/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अकलसरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–अकलसरा 750 मीटर एवं अस्पताल अकलसरा 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13.8 कि.मी. दूर है। सोन नदी 8 कि.मी., बोराई नदी 8 कि.मी., नहर 4.4 कि.मी. एवं तालाब 1.9 कि.मी. बीसमी नाला 50 मीटर की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 29,34,075 टन, माईनेबल रिजर्व 16,86,423 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 15,82,797 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,870 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 14,800 घनमीटर है, जिसमें से 2,058 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलावन वृक्षारोपण के लिए तथा शेष 12,742 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को उत्तरी दिशा में नाला एवं आवेदित क्षेत्र के मध्य की शासकीय भूमि में बण्ड बनाने हेतु भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,20,770	षष्ठम	1,56,386
द्वितीय	2,31,921	सप्तम	1,40,720
तृतीय	2,49,020	अष्टम	1,22,553
चतुर्थ	2,40,470	नवम	98,751
पंचम	1,90,596	दशम	30,400

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 1,187 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान की बाउण्ड्री में (1,187 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,28,300	11,600	11,600	11,600	11,600
	फेंसिंग हेतु राशि	97,208	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	58,350	58,350	58,350	58,350	58,350
	सिंचाई, रख–रखाव आदि हेतु राशि	1,40,000	1,40,342	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 12,64,000		4,23,858	2,10,292	2,09,250	2,09,250	2,09,250

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 22 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	22	42	60
PM_{10}	44	72	100
SO_2	4	14	80
NO_2	11	28	80

   iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार

क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	38.7	47.4	75
Night L_{eq}	30.7	38.3	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. जी.एल.सी. की गणना:-

S No.	Parameters	Baseline at project site (µg/m3)	Predicted GLC (µg/m³)	Total GLC (µg/m³)
1	PM_{10}	72	5.87251	77.87

16. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 264 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.044 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 210 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 474 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.079 होगी। विस्तार के उपरांत भी री-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेयरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 05/01/2022, प्रातः 11:00 बजे, स्थान – अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम अकलतरा, विकासखण्ड-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सहित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 04/04/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:-

i. यहां ब्लास्टिंग के कारण जर्जर स्थिति बनी हुई है। सड़कें खराब हो गई है। गनका दाई मंदिर का रास्ता भी काफी खराब हो गया है।

ii. डोलोमाईट खदान के कारण पूरे गांव में प्रदूषण फैला हुआ है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की बिमारियां फैल रही है। जल स्तर काफी नीचे चला गया है, मछलियां खत्म हो गई है। उस क्षेत्र का पर्यावरण बर्बाद हो रहा है।

iii. उत्खनन क्षमता बढ़ाने से हमारे गांव के किसानों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। खदानों से खेती बाड़ी समाप्त हो रही है।

iv. पहले खमरिया से लगा जंगल था, यहां पर सियार थे, जानवर खत्म हो गये है। स्टाम्प पेपर में लिखकर दिया गया था कि मैं खदान संचालन नहीं करूंगा। खदान तत्काल बंद होना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों से नियमानुसार दूरी रखते हुए ही आवेदन किया गया है। ब्लास्टिंग के मानदंडो का पूर्णतः पालन करते हुए डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टिंग कॉन्ट्रेक्टर द्वारा नियंत्रित ब्लास्टिंग की जावेगी।

ii. प्राकृतिक सतही जल प्रवाह को सुचारू बनाए रखने हेतु पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कर वायु प्रदूषण को कम किया जाएगा।

iii. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत खनन क्षेत्र के चारों ओर वृक्षारोपण किया जा रहा है। वाहनों का संचालन तारपोलिन के ढंककर किया जावेगा एवं पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम को लागू किया जावेगा।

iv. आवेदित भूमि क्षेत्र में उत्खनन हेतु सभी संबंधित विभागों जैसे खनिज विभाग, पंचायत, राजस्व विभाग, वन विभाग आदि के कानूनसम्मत नियमानुसार निरीक्षण के बाद प्रक्रिया के तहत अनुमति दी गई है।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 2 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 3,750 मीटर		3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000
ग्राम सड़क मार्ग (3.75 कि.मी.) के दोनों तरफ (2,500 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,75,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	फेंसिंग हेतु राशि	3,75,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,25,000	1,25,000	1,25,000	1,25,000	1,25,000

	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,80,000	2,80,000	2,80,000	2,80,000	2,80,000
इन्फारमेंट मॉनिटरिंग		98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
हेल्थ चैकअप कैम्प		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
कुल राशि = 58,09,000		16,61,000	10,36,000	10,36,000	10,36,000	10,36,000

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 1,750 मीटर।		1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
हरित पट्टिका के विकास हेतु ग्रामीण सड़क मार्ग के दोनों तरफ (1.180 मान) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,30,400	11,800	11,800	11,800	11,800
	कॉलिंग हेतु राशि	1,77,900	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,41,400	1,40,900	1,40,900	1,40,900	1,40,900
इन्फारमेंट मॉनिटरिंग		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
हेल्थ चैकअप कैम्प		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
कुल राशि = 28,77,000		8,33,000	5,36,000	5,36,000	5,36,000	5,36,000

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
119.72	2%	2.40	Following activities at, **Village- Akalsara**	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	3.27
			Total	**3.27**

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (जामुन एवं आम की विभिन्न प्रजातियों की) वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव अनुसार 85 नग पौधों के लिए राशि 12,750 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 12,750 रुपये, खाद के लिए राशि 4,250 रुपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 60,500 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 90,250 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,37,000 रुपये हेतु पटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अकलसरा के सहमति उपरांत तालाब (खसरा क्रमांक 562) के चारों ओर वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भंडारित किया जाएगा। शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना से जिन–जिन स्थानों से पब्लिसिटि डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्त्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतों में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार डामरीयों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 1.0 कि.मी. तथा नहर 1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

31. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 740 मीटर, अस्पताल 15 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के नियंत्रण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जायेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा खदानों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

vi. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार सटी क्षेत्र का ग्राउंड लेवल कन्सेंट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।

vii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

ix. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELING के अनुसार ब्लास्ट, परिवहन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण केन्द्रों के संयुक्त परिणाम, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।

33. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जायेगा जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति कि जायेगी, इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जायेगा।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जायेगा।

38. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/2173/ख.नि./न.क./2020 जांजगीर, दिनांक 18/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.488 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अकलसरा) का क्षेत्रफल 4.047 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अकलसरा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.535 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. अप्रैल 2022 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री अरविन्द सोनी (अकलसरा डोलोमाईट माईन) को ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (वर्तमान में जिला–सक्ती) के खसरा क्रमांक 1283/1 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.047 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–17,500 टन प्रतिवर्ष से 2,49,020 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री अरविन्द सोनी (अकलसरा डोलोमाईट माईन) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. सी.ई.आर. के तहत, ई.एम.पी. के तहत तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. अप्रैल 2022 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर (पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्पादन क्षमता से अधिक नहीं होने के दृष्टिगत) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. **मेसर्स कोरिया स्टोन क्रशर (डोमापानी आर्डिनरी स्टोन माईन, प्रो.– श्रीमती शोभा चौहान), ग्राम–डोमापानी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2513)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432560/2023, दिनांक 11 /08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डोमापानी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 432, कुल क्षेत्रफल–1.22 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–9,366.67 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रारूप दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की आकाश चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में कोयला पत्थर खदान खसरा क्रमांक 432, कुल क्षेत्रफल-1.32 हेक्टेयर, क्षमता-6,386.67 टन (3,469.14 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 01/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "5A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 29/02/2024 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 147/खनिज/उ.प./2023 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/01/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर में)
2018	69
2019	321
2020	246
2021	252
2022	813

   समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2023 से अद्यतन तिथि तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जामपानी का दिनांक 08/12/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी स्कीम, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर स्कीम प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बलरामपुर–रा. गंज के ज्ञापन क्रमांक 4186/खनिज/2018 बलरामपुर, दिनांक 23/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 746/खनिज/उ.प./2023 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 746/खनिज/उ.प./2023 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती सोना चौहान के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 31/01/2013 से 30/01/2018 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 31/01/2018 से 30/01/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, जिला–बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.क./886 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/02/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 823 मीटर दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डोमाचानी 500 मीटर, स्कूल ग्राम–डोमाचानी 950 मीटर एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 10.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19 कि.मी. दूर है। गेज नदी 800 मीटर, तालाब 880 मीटर, नहर 3.08 कि.मी. एवं बौरासी नाला 1.35 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – पूर्व में जियोलॉजिकल रिजर्व 86,773.50 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 35,545.40 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 34,080.83 घनमीटर था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 83,883.50 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 36,855.40 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 32,989.83 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,203.75 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है।

लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 3,732.00 घनमीटर है। जिसमें से 1,474 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए तथा शेष 2,258 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लाइसेंसी प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 433, रकबा 3.600 हेक्टेयर क्षेत्र) में संरक्षित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है, एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	3,469.05	छठवां	3,469.23
द्वितीय	3,469.05	सातवां	3,469.23
तृतीय	3,469.05	आठवां	3,469.23
चतुर्थ	3,469.05	नवम	3,469.23
पंचम	3,469.01	दशम	3,468.57

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 834 नग वृक्षारोपण किया जाना है। जिसमें से 650 नग वृक्षारोपण किया जा चुका है। अतः लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में शेष 184 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बफरजोन में (184 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	18,400	–	–	–	–
	कॉलिंग हेतु राशि	70,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700
	सिंचाई, रख-रखाव आदि हेतु राशि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 13,01,900		3,35,100	2,41,700	2,41,700	2,41,700	2,41,700

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.12	2%	0.24	Following activities at, Village- Dobhapani	
			Plantation around Pond	0.46
			Total	0.46

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ (आम, जामुन एवं कटहल) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 12 नग पौधों के लिए राशि 1,200 रुपये, कीटिन के लिए राशि 1,800 रुपये, खाद के लिए राशि 800 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 15,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 30,400 रुपये हेतु पाटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत डोभापानी (खसरा क्रमांक 85) के सामनी उपरांत तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रमाणित कम्प्लायंस रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति/राज्य स्तरीय पर्यावरण सम्मत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भंडारित किया जाएगा। शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनभराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्लुओराईट अयस्क उत्खनन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बारगड़ी मिनरल्स द्वारा संचालन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

   i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत नई नहीं किया जावेगा।

   ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

   iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर पारलैंक ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जावेगा।

   iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

   v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर वृक्षारोपण किया जावेगा।

   vi. तथा संपत्ति तालाब के चारों ओर भी वृक्षारोपण किया जावेगा।

   प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 980 मीटर तथा नहर 3.08 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ मीनर खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक i से vi के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

26. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 800 मीटर, अस्पताल 10.75 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 800 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ मीनर खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं

आबादी क्षेत्र मे होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

i. खदान के माईन बाउण्ड्री मे चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र मे प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र मे प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जायेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र मे परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र मे कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

vi. अध्ययन क्षेत्र मे पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का वायु स्तर कन्सेंट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।

vii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जायेगा।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जायेगा।

31. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

32. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 746/खनिज/उ.प./2023 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–डोमाचानी) का क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. जनवरी 2023 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों (यदि हो तो) की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कोरिया स्टोन क्रशर (डोमाचानी आर्डिनरी स्टोन माईन, प्रो.– श्रीमती हेमा चौहान) को ग्राम–डोमाचानी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 432 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.22 हेक्टेयर, क्षमता–8,388 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. जनवरी 2023 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों (यदि हो तो) की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों के नाम, संख्या एवं उसकी गोलाई तथा वृक्ष अत्यावश्यक है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षों की कटाई के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स केपी आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री चंचल अग्रवाल), ग्राम–केपी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2814)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432417/2023, दिनांक 11/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–केपी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 485/11/2, 485/35 एवं 485/36, कुल क्षेत्रफल–2.251 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 40,830 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चंचल अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत केपी का दिनांक 08/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एंड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–रायगढ़ के पु. ज्ञापन क्रमांक 337–39/खनि./सा./2023 रायगढ़, दिनांक 20/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 300/खनिज/खनि./2023 अम्बिकापुर,

दिनांक 15/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 2.545 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 299/खनिज/ख.नि. 1/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेललाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वॉटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, पुरातात्व, मजार, धार्मिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री मंगल अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), जिला–अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 865/खनिज/ख.नि.1/न.प्र.22/2020 अम्बिकापुर, दिनांक 20/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधि जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 485/11/2 व 485/35 श्री मंगल अग्रवाल (आवेदक) एवं खसरा क्रमांक 485/36 श्रीमती राजरानी अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि/888 अम्बिकापुर, दिनांक 08/05/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 800 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–केंदी 400 मीटर, स्कूल ग्राम–केंदी 800 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–अम्बिकापुर 10.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.8 कि.मी. दूर है। गागर नदी 5.9 कि.मी., मौसमी नाला 2.1 कि.मी., तालाब 640 मीटर एवं नहर 3.35 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,20,461 टन, माईनेबल रिजर्व 4,81,909 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,33,718 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,610 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,850 घनमीटर है, ओवर बर्डन की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,850 घनमीटर है। बैंच

की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अस्थाई स्थापना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,307.63
द्वितीय	40,605.30
तृतीय	40,515.39
चतुर्थ	40,678.20
पंचम	40,600.00

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,116 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल फ्लगेन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (1,116 पेड़) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,11,600	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	93,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
	सिंचाई, रख-रखाव आदि हेतु राशि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 14,66,600		**4,65,400**	**2,55,800**	**2,55,800**	**2,55,800**	**2,55,800**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.67	2%	0.75	Following activities at,	

			Village- Kapi	
			Plantation around village pond	0.90
			Total	0.90

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ (आम, जामुन एवं कटहल) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 39 नग पौधों के लिए राशि 3,900 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,850 रुपये, खाद के लिए राशि 1,950 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 29,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 59,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कोपी (खसरा क्रमांक 84) के सहमति उपरांत तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भंडारित किया जाएगा। शेष उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा,

खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:–

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत मई नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर नालनैक ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. तथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 340 मीटर तथा नहर 3.35 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक i से vi के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

26. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 600 मीटर, अस्पताल 10.9 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 400 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का प्राकृतिक लेवल कन्सेंट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।

vii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

31. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं पुनर्वास कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं पुनर्वास का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

32. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 300/खनिज/ख.नि./2023 अम्बिकापुर, दिनांक 15/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 2.545 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-केंगी) का क्षेत्रफल 2.251 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-केंगी) को मिलाकर क्षेत्रफल 4.796 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल

क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. एल.ओ.आई. की स्थिति वृद्धि संबंधी दस्तावेज/जानकारी को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों (यदि हो तो) की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स केपी आर्किनारी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री चंपत अग्रवाल) को ग्राम–केपी, तहसील–तुमड़ा, जिला–बलरामपुर के खसरा क्रमांक 485/11/2, 485/35 एवं 485/36 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.251 हेक्टेयर, क्षमता–40,830 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एल.ओ.आई. की स्थिति वृद्धि संबंधी दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों (यदि हो तो) की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों के नाम, संख्या एवं उसकी गोलाई तथा वृक्ष अराजकीय है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षों की कटाई के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स बरबसपुर फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्री वीरेन्द्र कुमार लोनारे), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2818)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 433260/2023, दिनांक 13/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 186/1, कुल क्षेत्रफल–0.42 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,523.75 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वीरेन्द्र कुमार लोनारे, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में खसरा पत्थर खदान खसरा क्रमांक 186/1, कुल क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर, क्षमता-2,523.75 टन (1,009.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 22/11/2016 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 580/क/खनि/न.ख./2023 महासमुंद, दिनांक 28/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरंक
01/07/2017 से 31/12/2017	113
01/01/2018 से 30/06/2018	302
01/07/2018 से 31/12/2018	228
01/01/2019 से 30/06/2019	110

01/07/2019 से 31/12/2019	250
01/01/2020 से 30/06/2020	190
01/07/2020 से 31/12/2020	100
01/01/2021 से 30/06/2021	180
01/07/2021 से 30/09/2021	100
01/10/2021 से 31/03/2022	200
01/04/2022 से 30/09/2022	270
01/10/2022 से 31/03/2023	230

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2023 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलीग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1429/क/खनि/न.क./2018 महासमुंद, दिनांक 22/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 580/क/खनि/न.क./2023 महासमुंद, दिनांक 28/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 09 खदानें, क्षेत्रफल 39.22 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संस्थान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 580/क/खनि/न.क./2023 महासमुंद, दिनांक 28/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, चर्च, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री वीरेन्द्र कुमार सोनारे के नाम पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 21/01/2014 से 20/01/2024 तक वैध है। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 21/01/2024 से 20/01/2044 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./खनिज/1261 महासमुन्द, दिनांक 08/04/2013 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 13 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संस्थानों की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 1.15 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 8.45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.8 कि.मी. दूर है।

महानदी 500 मीटर, मौजमी नाला 500 मीटर, तालाब 1.32 कि.मी. एवं नहर 500 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संभव एवं खनन का विवरण** – पूर्व में जियोलॉजिकल रिजर्व 96,965 टन, माईनेबल रिजर्व 28,040 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 21,030 टन था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 36,513 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 8,943 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,878 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर तथा कुल मात्रा 2,466 घनमीटर है। जिसमें से 788 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए तथा शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर संरक्षित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1st to 2nd year of five year plan period is already over before the induction of the provision of quarry plan as per Chhattisgarh minor mineral rules, 2015	षष्टम	2,428.25
द्वितीय		सप्तम	2,433.75
तृतीय	2,002.50	अष्टम	2,475.00
चतुर्थ	2,175.00	नवम	2,512.50
पंचम	2,418.75	दशम	2,523.75

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 236 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के कुछ भाग में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जीव उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii(i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र चामड़िया विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 580/क/खनि/न.ज./2023 महासमुंद, दिनांक 28/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 09 खदानें, क्षेत्रफल 39.22 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.42 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 39.64 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जौच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन फॉर माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit the previous year production detail from 01/04/2023 to till date from the mining department.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama, photographs and videography of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xix. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

(a) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(ii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

8. **मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (सेमीपाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–सेमीपाली, तहसील–बरमकेला, जिला–रायगढ़ (संचालन का नवमी क्रमांक 2391)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव नम्बर – एमपीए/ सीजी/ एमआईएन/ 428622/ 2023, दिनांक 21/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेमीपाली, तहसील–बरमकेला, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 88 एवं 115(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.52 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,50,038 टन (92,606.93 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 24/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर का दिनांक 06/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 953/ख.नि.2/क्वा./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 955/ख.नि./क्वा./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 955/ख.नि./क्वा./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई.** – एल.ओ.आई. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 800 /ख.नि.–03/2023 रायगढ़, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 88 की पैतरान व **श्रीमती आशामोती** एवं खसरा क्रमांक 115 श्रीमती मु. मियारी बाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./6780 धरमजयगढ़, दिनांक 13/12/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 350 मीटर, वन्यजीव अभ्यारण्य से 180 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान से 200 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी डान–सेमीचाली 700 मीटर, स्कूल डान–कुलमबर 1 कि.मी. एवं अस्पताल धरमजयगढ़ 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24.20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.55 कि.मी. दूर है। मौजूदा नाला 350 मीटर, माण्ड नदी 1.5 कि.मी. एवं तालाब 2.4 कि.मी. दूर है।

11. **पर्यावरणीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,87,820 टन, माईनेबल रिजर्व 4,43,542 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,21,365 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,800 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,825 घनमीटर है, जिसमें से 1,367.6 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 1,457.40 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 82, रकबा 0.58 हेक्टेयर में से 0.15 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,50,036
द्वितीय	1,50,052
तृतीय	2,077
चतुर्थ	2,000
पंचम	2,039

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जावेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 771 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 77,100 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 85,000 रूपये, खाद के लिए राशि 38,550 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,40,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,20,650 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,14,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु पटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु राशि के समक्ष विस्तार से वर्षा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
18.09	2%	0.3618	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Semipali Khurd	
			Donation of books related to Environment Conservation & Aware	0.10
			Plantation	0.41
			Total	0.51

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 1,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 8,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,000 रूपये हेतु पटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

18. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान के 7.5 मीटर की हरित पट्टी में जो वृक्ष विद्यमान है उन्हें सुरक्षित रखने एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के अन्दर एक वृक्ष महुआ, दो वृक्ष बबूल एवं कांटेदार झाड़ियां स्थित है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई

(यदि आवश्यक हुआ तो) सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. सी.ई.आर. कार्य के लिए प्रस्तावित स्कूल में वृक्षारोपण की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने एवं सुरक्षित रखने के लिए कोशिश किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आरोपित खदान के 7.5 मीटर की हरित पट्टी में प्रयोजन अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किये जाने तथा उन रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के तहत् खर्च किये गए राशि की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude फोटोग्राफ एवं KML फाईल सहित पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में प्रस्तुत करेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो समिति द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए परियोजना प्रस्तावक बाध्य रहेगा।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. छत्तीसगढ़ आकर्ष पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं उक्त प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला इत्यादि का संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

34. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

37. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 866/खनि./शा./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-सेमरीपाली) का क्षेत्रफल 1.52 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-सेमरीपाली) को मिलाकर कुल रकबा 3.543 हेक्टेयर है। खदान की

सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. लीज क्षेत्र में वृक्ष अधिक है। वृक्षों की प्रजाति का सत्यापन कर सूची फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (सेमीमाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी) को ग्राम–सेमीमाली, तहसील–बलरामपुर, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक 88 एवं 115(पार्ट) में स्थित सामान्य पत्थर (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.52 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–2,50,036 टन (92,606 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2023 को संपन्न 151वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. As per proposal, project land belongs to Shri Chaitram, Smt Ashamoti and Smt Sighari Bai and copy of an agreement with respective land holders has been submitted. We are of the view that whether the subject land belongs to General Category or SC/ST Category, which is required to be verified before considering the proposal. If subject land/project land belongs to Tribal Communities in that case we need to see whether a settled procedure has been adopted for obtaining consent of the land owners or not. Therefore, proposal is returned in the present form to Project Proponent and asked to submit fresh proposal for obtaining Environmental Clearance.

2. Project proponent has submitted that Forest Land is located at a distance of 350 meters as per N.O.C. obtained from D.F.O., Dhamtari. Therefore it is viewed that distance from project land should/must be in accordance with the guidelines and rules made under F.C.A., 1980. To comply with guidelines, Project Proponent is directed to submit the proposal keeping requisite distance from the Forest Land to avoid any disturbance to flora and fauna and for Wildlife protection, along with action plan for conservation of flora and fauna.

3. Project proponent shall ensure mitigation measures to minimize the impact of mining on Public Service Centers such as schools, health centers etc.

4. It has been submitted that 07 cubic meter water per day shall be required for the instant project and water shall be made available through borewell and N.O.C. of C.G.W.A. has been submitted by Project Proponent. As per National Water Policy only surface water can be utilized for industrial purposes. Therefore Project Proponent is directed to clarify the source of water for the mining (industrial) project.

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वृक्षों की प्रजातिवार सत्यापन कर सूची फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव के तहत् Donation of books related to Environment Conservation & Almira के स्थान पर शैक्षालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक–पृथक रनिंग वाटर फेसीलिटी की सुविधा (यदि सुविधा न हो तो) हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज को परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/08/2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

1. खदान की प्रजातिवार संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, धरमजयगढ़ परिक्षेत्र द्वारा दिनांक 24/06/2023 को जारी पत्र अनुसार "स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें सीताफल, सेन्हा एवं अन्य छोटी प्रजातियां मौके पर पाया गया। चूंकि वर्तमान में बरसात सीजन होने के कारण उक्त क्षेत्र 30ML गूगल अर्थ में पानी प्रतीत हो रहा है।" होना बताया गया है।

2. प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव के तहत् Donation of books related to Environment Conservation & Almira के स्थान पर शैक्षालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक–पृथक रनिंग वाटर फेसीलिटी की सुविधा (यदि सुविधा न हो तो) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
18.09	2%	0.3618	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Semipali Khurd	
			Runing Water Facility for Boys Toilets	0.15
			Runing Water Facility for Girls Toilets	0.20
			Plantation	0.41
			Total	0.76

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 1,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 8,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,000 रूपये हेतु पटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **प्राधिकरण द्वारा नोट किये गये तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समिति का निम्न मत है:–**

- विचाराधीन प्रकरण में उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के अनुमोदन पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है तथा संबंधित कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है।

- विचाराधीन प्रकरण में आवश्यकतानुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही संबंधित खदान की दूरी वन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक है। अतः प्रस्तावित लीज क्षेत्र पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू नहीं होता है।

- विभिन्न संरचनाओं से न्यूनतम दूरी बाबत् – छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/03/2015 के अध्याय–दो के बिन्दु क्रमांक 5(ग) में निम्न प्रावधान है:–

  "जो किसी पूल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलवे से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिले के सड़कों से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर तथा प्राचीन काले रास्ते से, सभी दिशाओं में, 10 मीटर के भीतर या प्राचीन मार्ग को छोड़कर, किसी सार्वजनिक स्थान से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर" का उल्लेख है।

  विचाराधीन प्रकरण में सार्वजनिक क्षेत्र तथा स्कूल, हेल्थ सेंटर आदि की दूरी उपरोक्त अधिसूचना अनुसार निर्धारित दूरी से अधिक होने, प्रस्तावित खदान अपेक्षाकृत छोटे लीज क्षेत्र का होने तथा खदान प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण की सक्षम व्यवस्था करने के कारण **Mitigation measures to minimize the impact of mining on Public Service Centers such as schools, health centers etc.** की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

- जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किये जाने बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। चूंकि **MINISTRY OF JAL SHAKTI (Department Of Water Resources, River Development And Ganga Rejuvenation)** (CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY), New Delhi द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24/09/2020 में निम्न प्रावधान है:–

  "Exemptions from seeking No Objection Certificate: (v) Micro and small Enterprises drawing ground water less than 10 cum/day."

  विचाराधीन प्रकरण में जल खपत की मात्रा 10 घनमीटर/दिन से कम है। अतः औद्योगिक क्रियाकलापों (जल छिड़काव) में पृथक से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की 447वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त क्रमांक 18 के तहत् सी.ई.आर.

के अंतर्गत प्रस्तावित स्क्रीन में रनिंग वाटर एवं वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाएगा। तदानुसार पूर्व में अनुशंसित पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त को संशोधित किया जाए तथा समिति की 487वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में निहित की गई शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023 में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय के अंतर्गत आयोजित प्रकरण में शुद्धि पत्र (corrigendum) जारी किये जाने हेतु विचार किया गया, जो निम्नानुसार है:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023 को आयोजित की गई थी। उक्त कार्यवाही विवरण के एजेण्डा आयटम क्रमांक-3 **"मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (सेमेंपाली बार्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम-सेमेंपाली, तहसील-बरमकेलागढ़, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2381)"** के प्रकरण में **पृष्ठ क्रमांक 82 पर समिति के निर्णय में शुद्धि पत्र (corrigendum)** जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

"समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पूर्व में समिति की 487वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त क्रमांक 18 के तहत् सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित स्क्रीन में रनिंग वाटर एवं वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाएगा। तदानुसार पूर्व में अनुशंसित पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त को संशोधित किया जाए तथा समिति की 487वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में निहित की गई शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।"

के स्थान पर

"समिति द्वारा चर्चा गया कि प्राधिकरण द्वारा "We are of the view that whether the subject land belongs to General Category or SC/ST Category, which is required to be verified before considering the proposal. If subject land/project land belongs to Tribal Communities in that case we need to see whether a settled procedure has been adopted for obtaining consent of the land owners or not. Therefore, proposal is returned in the present form to Project Proponent and asked to submit fresh proposal for obtaining Environmental Clearance." के settled procedure हेतु बिन्दु उठाये गये है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में आवेदित खदान हेतु जारी एल.ओ.आई./सहमति प्राप्त भूमि अनुसूचित जनजाति व्यक्ति (सहमतिकर्ता) की भूमि है।

अतः **समिति द्वारा पुनः विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा settled procedure का समुचित पालन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में कलेक्टर, जिला-रायगढ़ से जानकारी मंगाये जाने के लिए पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा settled procedure का समुचित पालन नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित प्रकरण को क्लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (तथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST Category) के पर्यावरणीय हितों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए प्रस्ताव सहित) पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।" ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006**

(यथा संशोधित) के पैरा 5(घ) के तहत् समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 29/10/2014 के अधीन समिति स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, श्री किशन सिंह धुर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ को सम्मिलित करते हुये चार सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। चार सदस्यीय समिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अवस्थान स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः समिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, श्री किशन सिंह धुर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कलेक्टर, जिला–रायगढ़ को पत्र लेख किया जाए।

पढ़ा जाये।

साथ ही समिति द्वारा यह भी पाया गया कि समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023 का अनुमोदन होने के कारण वर्तमान में आवेदित प्रकरण (ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428822/ 2023, दिनांक 21/04/2023, **सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2381**) तकनीकी दृष्टिकोण से परिवेश पोर्टल में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष है।

अतः **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को पुनः विचार किये जाने हेतु वापस भेजे जाने बाबत् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिवेश में समीक्षा उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स बस्तर बीटनिक्स प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर – श्री सुमांक चंद्राकर), ग्राम–धुरगांव, तहसील–लोहण्डीगुड़ा, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2417)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/428828/ 2023, दिनांक 12/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–धुरगांव, तहसील–लोहण्डीगुड़ा, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 582/1, कुल क्षेत्रफल–1.21 हेक्टेयर में महुआ फ्लॉवर बेस्ड स्पिरिट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्षमता – 1 के.एल.डी. एवं महुआ फ्लॉवर बेस्ड IML (country liquor) बॉटलिंग यूनिट क्षमता – 250 केसेस प्रतिदिन हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 3.66 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुमांक चंद्राकर, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स गौरांग इन्फ्राकंसीलटेंट सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की ओर से सुश्री पूजा यादव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - सलीनका आबादी उसलीबेड़ा 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन बड़े अरापुर 17.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। श्री दन्तेश्वरी विमानपत्तन, जगदलपुर 28.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38.88 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17 मीटर दूर है। इंद्रावती नदी 3 कि.मी., नारंगी नदी 3.8 कि.मी., कपरी नाला 6.9 कि.मी., मारकन्डी नदी 9.66 कि.मी. एवं लगरा नाला 13.55 कि.मी. दूर है। नगोता संरक्षित वन 8.8 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उल्लेखनीय है संबंध में ग्राम पंचायत धुरगांव का दिनांक 26/06/2023 एवं ग्राम सभा का दिनांक 23/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **भू-स्वामित्व** – सी.एस.आई.डी.सी. के पत्र क्रमांक 7550, दिनांक 29/11/2022 द्वारा महुआ डिस्टिलरी एवं प्रोसेसिंग यूनिट हेतु एल.ओ.आई. जारी की गई है। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन एवं मेसर्स बस्तर बीटगिला प्राईवेट लिमिटेड के मध्य दिनांक 30/12/2022 को हुये लीज रजिस्ट्री एवं लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज डीड 99 वर्ष अर्थात् दिनांक 30/12/2022 से 29/12/2121 तक की अवधि हेतु वैध है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S. No.	Land use	Area (m^2)	Area (%)
1.	Plant Area	2,420	20
2.	Green belt Area	3,993	33
3.	Open Area	4,235	35
4.	Road and Paved Area	1,452	12
	Total	**12,100**	**100**

5. **री–मटेरियल** –

S.No	Raw Material	Quantity	Source	Mode of Transport	Storage Details
1.	Mahua Flower	1.4 TPD	Domestic market	Covered Trucks	Closed Silo
2.	**Chemicals**				
a	Caustic soda flakes 100%	1.0 Kg/Day	Domestic market	Covered Trucks	Close Bags
b	Active dry yeast	22 Kg/Day		Covered Trucks	Covered containers
c	Caustic soda	1.0 Kg/Day		Covered Trucks	Covered containers
d	Sulfuric acid	1.0 litter/day		Covered Trucks	Covered containers
e	Hydrocloric acid	1.0 Liter/Day		Covered Trucks	Covered containers
f	Hydrated lime	1.0 Kg/Day		Covered Trucks	Covered containers
g	Antiscalant	1.0 Kg/Day		Covered Trucks	Cold Storage
3.	**Fuel**				
a	Agro waste (Rice husk)	5 TPD	Domestic market	Covered Trucks	Covered Shed
b	HSD	50 Litres/Hour	Near by fuel station	Closed tank	Closed tank in covered Shed

समिति का मत है कि री–मटेरियल हेतु उपयोग किये जाने वाले महुआ फूल की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Unit	Capacity	Proposed Product
1.	Distillery (Pot Still with column arrangement distillation unit)	1.0 KLD	Mahua Flower based spirit
2.	Bottling line	250 Cases per day	Mahua Flower based IML (Potable Country liquor)

7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने बाबत् अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. छत्तीसगढ़ शासन एवं छत्तीसगढ़ माईनर फॉरेस्ट प्रोडयूस को–ऑपरेटिव फेडरेशन तथा मेसर्स बस्तर बोटनिकल प्राईवेट लिमिटेड के मध्य दिनांक 19/05/2022 को हुए त्रि–पक्षीय एम.ओ.यू. (TRIPARTITE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – मटेरियल हैंडलिंग एवं ट्रांसफर पाईंट्स में डस्ट कलेक्टर लगाया जाना प्रस्तावित है। बॉयलर से होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 11 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बॉयलर क्षमता 1.2 टन प्रतिघंटा की स्थापना प्रस्तावित है। चिमनियों में ऑनलाईन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना प्रस्तावित है। UASB/CSTR रियेक्टर में इन्फारेड कैमरा लगाया जाना प्रस्तावित है। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। समिति का मत है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन्स के अनुसार चिमनी की ऊंचाई न्यूनतम 30 मीटर रखा जाना आवश्यक है।

10. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Particulars	Quantity	Disposal
Industrial Solid Waste		
Mahuwa flower residue	0.40 TPD	Converted to organic manure & used for plantation within premises/handed over to farmers
Boiler ash	0.06 TPD	Handed over to brick manufacturing units.
ETP Sludge	0.10 TPD	Handed over to brick manufacturing units.
STP Sludge	0.002 TPD	Used as manure within plant premises
Hazardous Solid Waste		
Discarded Drums / Barrels / Empty Containers	0.10 TPA	Will be sent to Authorized recyclers Nearest TSDF Site.
Used/ Spent Oil	0.10 KLA	Will be sold to registered recyclers

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 19.6 घनमीटर प्रतिदिन (बॉयलर में 4.5 घनमीटर प्रतिदिन, प्रोसेस में 5.5 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग टॉवर मेकअप में 2 घनमीटर प्रतिदिन, वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट में 1 घनमीटर प्रतिदिन, ऐश क्वेन्चिंग में 0.6 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण के लिए 5.3 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 0.5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। कुल 19.6 घनमीटर प्रतिदिन जल में से फ्रेश जल की आवश्यकता 9 घनमीटर प्रतिदिन की आवश्यकता होगी तथा शेष जल को पुनः उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति का स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – बॉयलर से उत्पन्न दूषित जल को पुनः चक्रण कर उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। प्रक्रिया से 5.5 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग टॉवर से 2 घनमीटर प्रतिदिन, ऐश क्वेन्चिंग से 0.6 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य से 0.3 घनमीटर प्रतिदिन (इस प्रकार कुल 8.8 घनमीटर प्रतिदिन) दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसके उपचार हेतु ई.टी.पी. क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. में कंटिन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्लो मीटर एवं पी.टी.जेड. कैमरा की स्थापना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल 8.8 घनमीटर प्रतिदिन को पुनः उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

  घरेलू दूषित जल की मात्रा 0.4 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एनएबीईआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल 0.3 घनमीटर प्रतिदिन को वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त प्रक्रिया से जनित स्पेंट वॉश को ई.टी.पी. से उपचारित किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है कि महुआ फ्लावर आधारित स्पिरिट (Spirit) एवं एल्कोहल (Liquor) के उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेंट वॉश के उचित अपवहन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पत्र लेखा किया जाना आवश्यक है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) पूर्व एवं नवीन उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

12. **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित प्रक्रिया से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु साईलेंसर एवं डैम्पर्स की स्थापना किया जाना, परिसर के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना, कर्मचारियों को पी.पी. किट दिया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट एकोस्टिक एन्क्लोजर युक्त होगी, जिससे ध्वनि प्रदूषण नगण्य होगी। साथ ही समय समय पर ध्वनि स्तर का मापन किया जाना प्रस्तावित है।

13. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – परियोजना हेतु कुल 25 मिलीवॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 30 के.वी.ए. का 1 डी.जी. सेट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी की ऊंचाई सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन्स के अनुसार कम से कम 3.5 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.4 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव के.एम.एल. फाईल सहित फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2023 से मई, 2023 के मध्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(जी) डिस्टिलरी (Distillery) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जोड़े किए जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart and layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit the mechanism of procurement of mahua flowers from the market.

iii. Project proponent shall submit an affidavit that he will follow all actrules of MFP collection, storage transport etc, excise actrules & PESA actrules made by government time to time.

iv. Project proponent shall submit NOC from Concern department for usage of water.

v. Project proponent shall ensure to submit the NOC from CREDA (CHHATTISGARH STATE RENEWABLE ENERGEY DEVELOPMENT AGENCY) for use of rice husk as a fuel in boiler.

vi. Project proponent shall submit the NOC from competent authority mentioning distance between project boundary to forest boundary /National park/ Scanturary.

vii. Project proponent shall submit the details of emission of gas from fermentation unit and shall submit preventive measures.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

x. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xi. Project proponent shall submit stack height proposal of minimum 30 meter (Boiler and Other units) as per the guidelines issued by CPCB form time to time.

xii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xiii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xiv. Project proponent shall submit details of water balance chart.

xv. Project proponent shall submit details of ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

xvi. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation.

xvii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xviii. Project proponent shall carryout Social Impact Assessement & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

xix. Project proponent shall carry out Impact Assessement Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.

xx. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xxi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xxii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of minimum 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for minimum 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of minimum 40%.

xxiii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.

xxiv. Project proponent shall submit the energy saving techniques proposed in the project.

xxv. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा महुआ फ्लावर आधारित स्पिरिट (Spirit) एवं एल्कोहल (Liquor) के उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेंट वॉश को ई.टी.पी. से उपचारित किया जाएगा। इस संबंध में महुआ फ्लावर आधारित स्पिरिट (Spirit) एवं एल्कोहल (Liquor) के उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेंट वॉश के उचित अपवहन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार बिन्दुओं उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा महुआ फ्लावर आधारित स्पिरिट (Spirit) एवं एल्कोहल (Liquor) के उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेंट वॉश को ई.टी.पी. से उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में महुआ फ्लावर आधारित स्पिरिट (Spirit) एवं एल्कोहल (Liquor) के उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेंट वॉश के उचित अपवहन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने बाबत् पत्र लेख किया जाए।

10. **मेसर्स शाह स्टोन सप्लायर्स (पार्टनर– श्री हरीश शाह, धौरभाठा क्रोसिंग्स गार्डन), ग्राम–धौरभाठा, तहसील–किरहा, जिला–बिलासपुर (लघिकालय का नस्ती क्रमांक 1884)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 88846/2021, दिनांक 10/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429407/2023, दिनांक 15/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौरभाठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 25, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/2 एवं 29/3 कुल क्षेत्रफल–3.863 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश कुमार शाह, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री राहुल कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौरभाठा का दिनांक 20/10/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अतिरिक्त संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5062/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.न. 06/2021 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1474/खनि/न.क./2022 बिलासपुर, दिनांक 24/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 34.889 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1888/खनि/न.क. 16/2021, बिलासपुर, दिनांक 27/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–3/2018/12, नया रायपुर दिनांक 15/06/2021 द्वारा जारी किया गया है,

जिसमें पैरा 9 में "उत्खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत् खनन कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करें।" का उल्लेख है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 25, 26/2, 28/1, 29/2 मेसर्स शाह स्टोन सप्लायर्स, खसरा क्रमांक 27 श्री मोहन, खसरा क्रमांक 28 श्री छोटकू, खसरा क्रमांक 29/3 श्रीमती सोनमुंदर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

मेसर्स शाह स्टोन सप्लायर्स में श्री हरीश कुमार शाह, श्री सतीश कुमार शाह एवं श्री निरीश कुमार शाह पार्टनर्स है। इस बाबत् पार्टनरशिप डीड की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4183 बिलासपुर, दिनांक 05/11/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धौरभाठा 800 मीटर, स्कूल ग्राम–धौरभाठा 1.49 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–धौरभाठा 1.35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 1.1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 39,45,786 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,78,277 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,775 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 38.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपशिष्ट मिट्टी/ओवर बर्डन की मोटाई 0.25 मीटर से 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। रोड डेवलप का उपयोग एवं प्लांटेशन किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,000	षष्टम	1,50,000
द्वितीय	70,000	सप्तम	1,50,000
तृतीय	75,000	अष्टम	1,50,000
चतुर्थ	1,00,000	नवम	1,50,000
पंचम	1,50,000	दशम	1,50,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,355 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,355 नग पौधों के लिए राशि 1,02,980 रूपये, खाद के लिए राशि 10,140 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,10,700 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,89,820 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 9,09,120 हेतु पाँचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$, का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	20.16	38.32	60
PM_{10}	30.21	51.47	100
SO_2	10.16	34.78	80
NO_2	10.08	29.81	80

   iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

   iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	37.21	58.12	75
Night L_{eq}	31.10	42.32	70

   जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

   v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 2,800 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात 0.18 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 300 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 3,100 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.2 होगी। विस्तार के

उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना:–

S No.	Parameters	Baseline at project site (98 %) (µg/m3)	Predicted GLC (µg/m³) ISCST3	Total GLC (µg/m³)
1	PM_{10}	41.35	6	47.35

समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पी.एम. 2.5, सल्फर आक्साईड्स, नाइट्रोजन आक्साईड्स के जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 27/01/2023 को प्रातः 11:00 बजे स्थान – शासकीय हाई स्कूल परिसर ग्राम सीतापाट, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई उपसंचालक सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 16/02/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–

i. हैवी ब्लास्टिंग होता है, जिससे गांव में कच्चे मकानों में दरार हो रहा है।

ii. खदान खेत से लगा हुआ है, जिसके कारण से खेत में पानी नहीं रुकता और सूखा पड़ जाता है। साथ ही ब्लास्टिंग से पत्थर छिटक कर खेतों में आते है।

iii. पक्की सड़क की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, जिसके कारण गर्मी में धूल और बरसात में कीचड़ की समस्यों से जुझ रहें है।

iv. स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. ब्लास्टिंग का कार्य अनुभवी कांट्रेक्टरों की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। ब्लास्टिंग निम्नस्तर पर किया जाना प्रस्तावित है।

ii. खदान के चारों तरफ समान वृक्षारोपण करेंगे तथा जरूरत पड़ने पर ग्रीन नेट से घेराव करेंगे जिससे पत्थर खेतों पर मत जाये।

iii. धूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए सड़क पर दिन में दो से तीन बार पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा खदान के चारों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा। कीचड़ वाली जगह पर खदान के मिट्टी से रोड मेटेनेंस करवाया जायेगा।

iv. प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 9 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग 3 कि.मी. के दोनों तरफ (2,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,52,000	15,200	15,200	15,200	15,200
	ट्रि–गार्ड हेतु राशि	18,00,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	15,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	सिंचाई, रख–रखाव एवं अन्य कार्य हेतु राशि	9,48,000	7,48,000	7,48,000	7,48,000	7,48,000
कुल राशि = 57,73,800		27,15,000	7,64,700	7,64,700	7,64,700	7,64,700

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 285 मीटर (190 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	14,440	1,444	1,444	1,444	1,444
	ट्रि–गार्ड हेतु राशि	1,52,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,440	150	150	150	150
	सिंचाई, रख–रखाव एवं अन्य कार्य हेतु राशि	1,26,257	61,257	61,257	61,257	61,257
कुल राशि = 5,45,541		2,94,137	62,851	62,851	62,851	62,851

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
120	2%	2.4	Following activities at Village- Dhaurabhata	

			Pavitra Van Nirman	15.49
			Total	15.49

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास, बड़, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,262 नग पौधों के लिए राशि 95,912 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,61,816 रुपये, खाद के लिए राशि 9,450 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,56,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,42,978 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,09,144 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सौंसपाड़ा के सहमति उपरांत प्रस्तावित स्थान (खसरा क्रमांक 327, क्षेत्रफल 1.25 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

21. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

22. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीवाइज कर प्रस्तुत किया गया है।

23. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. उपजी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर निर्धारित स्थान पर ही भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर शमन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Mineral Concession Rule) के तहत् बारम्बुडी मिनरल्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

33. समिति द्वारा निहित किए गए शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई वन्य अधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

38. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

39. जो भी अतिरिक्त मिट्टी निकलेगी उसको बैफर जोन (7.5 मीटर) में एक मीटर की ऊंचाई में डंप किया जाएगा, इस आशय का बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

40. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विधान विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1474/खनि/म.क./2022 बिलासपुर, दिनांक 24/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 34.989 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धौरभाठा) का क्षेत्रफल 3.653 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धौरभाठा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 38.642 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. पी.एम. 2.5, सल्फर आक्साईड्स, नाइट्रोजन आक्साईड्स के जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शाह स्टोन एन्टरप्राईज (पार्टनर– श्री हरीश शाह, धौरभाठा डोलोमाईट माईन) को ग्राम–धौरभाठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 25, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/2 एवं 29/3 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.653 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स शाह स्टोन एन्टरप्राईज (पार्टनर– श्री हरीश शाह, धौरभाठा डोलोमाईट माईन) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर आंकड़ों रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत घनिज वन निर्माण के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. इन्फ्लायमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्फ्लायमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2. पी.एम. 2.5, सल्फर आक्साईड्स, नाइट्रोजन आक्साईड्स के जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी (प्रस्तुत जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुकूल होने के दृष्टिगत) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

11. **मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नवमी क्रमांक 2043)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 77245/ 2022, दिनांक 26/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 433840/2023, दिनांक 20/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, 82, 84, 87, 88/2, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2, पार्ट ऑफ 79/2, पार्ट ऑफ 93/1, 90/3, कुल क्षेत्रफल – 16.37 एकड़ में संचालित कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कोल वॉशरी क्षमता–2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में परियोजना का विनियोग 22 करोड़ है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का कुल विनियोग रुपये 25 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2115, दिनांक 25/01/2023 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष फेट टाईप हेतु जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल कुमार जैन, डायरेक्टर एवं श्री संदीप कुमार वर्मा, जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स इण्डटेक हाउस कन्सल्ट सेहोनी, दिल्ली की ओर से डॉ. जे.के. मोहन्ता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   - एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1420, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 58/1, 58/1 एवं 58/2, कुल क्षेत्रफल–16.37 एकड़, ग्राम–खरगहनी, तहसील–बोदा, जिला–बिलासपुर कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। तत्पश्चात एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 85, दिनांक 21/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने बाबत् दिनांक 11/11/2022 को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया था। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में 28/03/2023 को आवेदन किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1713, दिनांक 16/08/2023 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।
2. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा दो–कोल वॉशरी क्षमता – 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 04/08/2022 को जारी की गई।
3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - निकटतम आबादी ग्राम–खार्रा 500 मीटर, ग्राम–खरगहनी 900, शहर बोदा 5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन कलमिडार 1.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। गोकेना नाला 150 मीटर, खारी नाला 4.8 कि.मी., पीपा नदी 5.8 कि.मी. एवं अरपा नदी 5 कि.मी. दूर है।
   - रामगंढा आरक्षित वन 5.5 कि.मी., कुआकाली आरक्षित वन 6.5 कि.मी., लोधगी आरक्षित वन 7 कि.मी., रतनपुर संरक्षित वन 7.5 कि.मी. एवं तिलतराई संरक्षित वन 9 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की त्रिज्या में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली

पीलभूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाएगा।

5. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत खरगड़नी का दिनांक 21/05/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/ म.प्र./ रा.अभि./ 2021/ 1082 बिलासपुर, दिनांक 26/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा अचानकमार टाईगर रिजर्व से 24.2 कि.मी. की दूरी पर है।

7. भू-स्वामित्व – भूमि महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

8. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Description	Area (Acres)	Percentage (%)
1.	Washery Plant	2.75	16.80
2.	Raw Coal, Stock Yard, Clean Coal & Rejects	3.45	21.07
3.	Other Facilities (Internal Roads, WTP, Staff Quarters etc.)	0.47	2.87
4.	Plantation	8.26	50.46
5.	Two Ponds for Run off Water	1.44	8.80
	Total	16.37	100

9. रॉ–मटेरियल –

For Coal Washery				
Raw Material	Existing	After Expansion	Source	Mode of Transport
Raw Coal	0.99 MTPA	2.48 MTPA	SECL Korba	By Road through covered trucks
Operating time	1 Shift	3 Shift		

Material Balance

Product & By Product	Existing Quantity (MTPA)	After Expansion Quantity (MTPA)	Mode of Transport
Washed Coal	0.792	1.984	70% By Railway and 30% By Road through covered trucks
Reject Coal	0.198	0.496	By Road through covered trucks

10. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – कोल क्रशर इकाई, स्टेनी क्रेशर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की

जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईंट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बैग फिल्टर से संलग्न कर बिजली से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं ग्रेन गन के साथ ऊँची चिमनी स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

11. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – थर्मल रिजेक्ट्स लगभग 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को आस-पास पावर प्लांटों, ईंट निर्माण ईकाइयों एवं अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

12. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु कुल 410 घनमीटर प्रतिदिन (कोल वाशिंग प्रोसेस हेतु 344 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 13.5 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण हेतु 43.25 घनमीटर प्रतिदिन एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 9.25 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होगी, जिसकी आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 05/06/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है, शेष 160 घनमीटर जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – ऐसी मॉडिफाइड लायवलोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया गया है। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की गई है। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग चैम्बर के माध्यम से उपचार किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट से उपचारित जल को पूर्णतः कोल हेन्डलिंग एरिया में डस्ट सप्रेशन हेतु उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।
- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) कृषि एवं खनन उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

13. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 24,341 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 तालाब 16,252 घनमीटर (लंबाई 65 मीटर, चौड़ाई 65 मीटर, गहराई 3 मीटर) क्षमता एवं 1 तालाब 8,812 घनमीटर (लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, गहराई 3 मीटर)

क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित एवं प्रस्तावित प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था चारदाह परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

14. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु 1500 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.वी.ए. का डी.जी. सेट 10 मीटर ऊंचाई की चिमनी के साथ स्थापित किया गया है।

15. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 1,000 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत 8.28 एकड़ क्षेत्र में कुल 8,830 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के तीन तरफ में 20 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 8,830 नग पौधों के लिए राशि 5,89,580 रुपये, खाद के लिए राशि 84,710 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,50,000 रुपये, रख–रखाव के लिए राशि 98,000 रुपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 50,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष हेतु कुल राशि 9,30,290 रुपये एवं आगामी चार वर्षों के रख–रखाव हेतु कुल राशि 14,37,832 रुपये पंचवार्षिक व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग का कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	13.0	32.1	60
PM_{10}	20.0	42.9	100
SO_2	4.0	5.8	80
NO_2	9.0	14.2	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	50.4	52.8	75
Night L_{eq}	41.4	42.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना–** भारी वाहनों/मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 274 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 1,124 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 1,398 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

vi. **क्यूमिलेटिव इम्पेक्ट असेसमेंट –**

Environmental Aspect	Impact of 0.99 MTPA	Impact of 2.48 MTPA
Fugitive emissions	Increment GLC (24-h average) Uncontrolled 13.4 ug/m³	Increment (24-h average) Uncontrolled 21.3 ug/m³
Ground water use	250 KLD	410 KLD
Waste water generation and disposal	No change	No change
Noise	Incremental Noise level at plant boundary will increase from 50.4 dBA to 52.8 dBA during day time and 41.4 dBA to 42.2 dBA during night time (due to project)	There will be no change in incremental noise level at plant boundary. Only the duration of increase will change from 8 hours to 20 hours
Traffic	214 trucks added 51% of the road capacity was utilized	534 trucks added 73% of the road capacity is now utilized

17. लोक सुनवाई दिनांक 10/05/2023 को प्रातः 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन खरगहनी के समीप स्थित मैदान में, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 29/05/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है–**

i. वायु प्रदूषण के लिए भविष्य में क्या कार्य योजना है, क्षेत्र में इससे लाभ/हानि होगा।

ii. वातावरण में पड़ने वाले वायु प्रदूषण से जनता के स्वास्थ्य सेवा का क्या व्यवस्था रखा गया है।

iii. वाहनों के आवागमन पर सड़कों में जो धूल या अन्य प्रकार की गंदगी होगा उसका क्या कार्ययोजना बनाया गया है।

iv. स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है–

i. वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित कोल वाशरी तकनीकी रूप से वेट टाईप कोल वाशरी निर्मित होगी, जिससे प्रदूषण नहीं होगा।

ii. प्रस्तावित उद्योग नवीनतम तकनीक तथा उच्च क्षमता एवं कुशलता की मशीनरी के उपयोग से किसी भी प्रकार से वायु अथवा जल प्रदूषण नहीं होगा। अतः प्रदूषण नहीं होने की स्थिति में जनता के स्वास्थ्य सेवा पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iii. वाहनों के आवागमन से सड़कों पर धूल या अन्य प्रकार की गंदगी फैलेगी उसके रोकथाम हेतु वॉटर टैंकर के द्वारा नियमित व दैनिक रूप से जल छिड़काव किया जाएगा तथा सड़क के किनारे सघन वृक्षारोपण कर वाहनों के आवागमन से उड़ने वाले धूल या गंदगी को फैलने से बचाया जा सकेगा।

iv. प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

19. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 520, दिनांक 04/08/2023 के माध्यम से लोक सुनवाई निरस्त करने एवं उद्योग नहीं खुलने देने बाबत् प्राप्त शिकायत की प्रति प्रेषित की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त शिकायत के निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

मेसर्स महावीर कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी, तहसील-कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 10/08/2023 को ग्राम-खरगहनी एवं दिनांक 17/08/2023 को ग्राम-खरगहनी-चकर्रा में नियत है, लोक सुनवाई के संबंध में प्राप्त शिकायत का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है-

- शिकायत पत्र क्र. 01: ग्रा.पं. खरगहनी, ग्रा.पं. खरगहना, ग्रा.पं. चकर्रा, ग्रा.पं. गोकुलपुर, ग्रा.पं. दीपलताई, ग्रा.पं. पेंपकबोधा, ग्रा.पं. खुरदुर एवं ग्रा.पं. मचारी।
  - उक्त शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण यह है कि ग्राम खरगहनी की ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 08/02/2023 को विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं संबंधित विभागों में भेजा गया है, जिसमें प्रस्तावित उद्योग के भूमि का खसरा एवं रकबा पृष्ठ क्र. 02 में उल्लेखित है।
  - ग्राम पंचायत खरगहनी एवं चकर्रा द्वारा विधिवत सर्वसम्मति से प्रस्तावित उद्योग हेतु चरित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
  - अनापत्ति प्रमाण पत्र फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में संलग्न होती है।
  - प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट 10 कि.मी. वायु सीमा की कोर जोन एवं बफर जोन की विस्तृत जानकारी पृष्ठ क्र. 32 से 37 तक उल्लेखित है।
  - प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में 10 कि.मी. की वायु सीमा में आने वाले ग्रामों की सूची जिनका मॉनिटरिंग किया गया है पृष्ठ क्र. 38 पर उल्लेखित है।
- शिकायत पत्र क्र. 02 एवं 03:
  - प्रस्तावित उद्योग में पर्यावरण संरक्षण हेतु तय किये गये सभी मापदण्ड का पूर्णतया पालन किया जायेगा, जिससे किसी भी प्रकार से जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण न होने की दशा में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों का लगाया जाना सुनिश्चित किया गया है।

- ➢ प्रस्तावित उद्योग जल के शून्य निस्सारण प्रक्रिया के तहत निर्मित होगा जिसमें प्रदूषित जल का पुनःचक्रण कर पुर्नउपयोग में लाया जायेगा तथा जल की कोई भी मात्रा प्रस्तावित उद्योग क्षेत्र से बाहर नहीं जायेगा।
- ➢ पर्यावरण विभाग के नियमावली अनुसार लोक सुनवाई के कम से कम एक माह पूर्व एक दैनिक समाचार पत्र एवं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना होता है जिसे नियमानुसार दिनांक 24/03/2023 को ग्राम-खरगहनी एवं दिनांक 15/04/2023 को ग्राम-खरगहनी-पथरी की जनसुनवाई की सूचना प्रकाशित किया गया है।
- ➢ लोक सुनवाई की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति/अनापत्ति/सहमति देने हेतु स्वतंत्र है।

- शिकायत पत्र क्र. 04:
  - ➢ प्रस्तावित उद्योग हेतु किसी भी प्रकार का भू-अर्जन नहीं किया गया है। प्रस्तावित उद्योग की भूमि निजी भूमि है तथा यह महावीर कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड के अधिपत्य की है।

- शिकायत पत्र क्र. 05 एवं 06:
  - ➢ प्रस्तावित उद्योग जल के शून्य निस्सारण प्रक्रिया के तहत् निर्मित होगा जिसमें प्रदूषित जल का पुनःचक्रण कर पुर्नउपयोग में लाया जायेगा तथा जल की कोई भी मात्रा प्रस्तावित उद्योग क्षेत्र से बाहर नहीं जायेगा।
  - ➢ प्रस्तावित उद्योग में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जो फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित कर जमा किया जायेगा।

अतः उपरोक्त शिकायत के संदर्भ में महावीर कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड इन पर संज्ञान लेते हुये गंभीरता से विचार करेगी तथा प्रदूषण संबंधी आशंका के निवारण हेतु उचित प्रकार से प्रबंधन की व्यवस्था करेगी। प्रस्तावित वाशरी के लोगों को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध होगा तथा ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सी.एस.आर. के माध्यम से प्रस्तावित उद्योग के आसपास के ग्रामों में विकास कार्य किये जायेंगे जो उनके जनकल्याण में सहायक होगा। महावीर कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं इसके सभी नियमावली का पूर्णरूपेण पालन किया जायेगा।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3.0	Following activities at, CSR College Village- Pipartarai	

			Plantation work	3.41
			Total	3.41

21. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कॉलेज के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

22. सी.ई.आर. की राशि के तहत् कॉलेज परिसर के भीतर (बड़, पीपल, नीम, करंज, आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार 282 नग पौधों के लिए राशि 19,912 रूपये, कॉलिंग के लिए राशि 61,100 रूपये, खाद के लिए राशि 1,980 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 54,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,98,992 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 1,44,744 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

23. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. उद्योग परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

42. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

26. समिति द्वारा निर्धारित किए गए शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कॉलेज के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड को ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, 82, 84, 87, 88/2, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2, पार्ट ऑफ 79/2, पार्ट ऑफ 93/1, 90/3 में कुल क्षेत्रफल–16.37 एकड़ में संचालित कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कॉलेज के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

12. **मेसर्स नगझर लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री लोकेश चन्द्रा), ग्राम–नगझर, तहसील–मालखरौदा, जिला–सक्ती (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2014)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 433703/2023, दिनांक 17/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह चूर्ण से संबंधित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नगझर, तहसील–मालखरौदा, जिला–सक्ती स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 164, कुल क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–14,850 टन (5,940 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लोकेश चन्द्रा, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 164, कुल क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर, क्षमता– 14,850 टन (5,940 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा दिनांक 28/01/2017 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आवेदन किया गया है।

   प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम अनुसार लिज्ज़ेजल के प्रकरण के लिए चाही गई जानकारी के लिए पैरा क्रमांक 5 में बिंदु 1 से 10 तक में आवश्यक/वांछित प्रपत्रों की सूची में प्रस्तावित पालन प्रतिवेदन की जानकारी जमा कराए जाने का उल्लेख नहीं है अर्थात् लिज्ज़ेजल के प्रकरणों में डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्तावित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है।

   अतः डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को एस.ई.आई.ए.ए. के द्वारा लिज्ज़ेजल का प्रकरण है एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित प्रकरण में प्रस्तावित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं बन रही है। उपरोक्त दोनों ऑफिस मेमोरेंडम पर प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सेल्फ सर्टिफाईड पालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 81 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 320/ख.नि./2023 रायगढ़, दिनांक 21/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	3,750
2018–19	14,000
2019–20	14,000
2020–21	14,700

2021–22	10,200
2022–23	14,500

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नगझर का दिनांक 01/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4137/खनि–1/उ.यो.अ./2018 कोरबा, दिनांक 14/12/2018 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती के ज्ञापन क्रमांक 207/ख.नि./2023 सक्ती, दिनांक 12/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.537 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती के ज्ञापन क्रमांक 206/ख.नि./2023 सक्ती, दिनांक 12/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में भी सार्वजनिक संरचनाएं जैसे रेल लाईन, नहर, भवन, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, ब्रिज, कलवर्ट, एनीकेट, स्टोन क्रेश, क्रेशर, वाटरवाल्वाई परियोजना, इनटेकवेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, आबादी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल, पर्यटक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। सड़क 50 मीटर की दूरी पर है।

7. **भूमि एवं लीज डीड संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज की ओरेक्स कन्टा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/10/2004 से 14/10/2014 तक की अवधि हेतु किए थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/10/2014 से 14/10/2034 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमंडल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/ख.नि./1785 चांपा, दिनांक 26/03/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 30 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कनाईडीह 530 मीटर एवं ग्राम–नगझर 1.15 कि.मी., स्कूल ग्राम–नगझर 700 मीटर एवं अस्पताल मालखरौदा 4.55 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1.05 कि.मी. एवं बीसली नाला 200 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित खारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 3,02,410 टन (1,20,964 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,46,690 टन (58,676 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,32,021 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,30,960 टन (92,384 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 75,240 टन (30,096 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,250 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,416 घनमीटर है। जिसमें से 788 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 4,628 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि में संग्रहित कर भण्डारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रवाह स्थापित नहीं है, एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023–24	13,500
2024–25	13,950
2025–26	14,175
2026–27	14,400
कुल	**56,025**

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 360 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (360 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	36,000	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	37,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
	सिंचाई, रख–रखाव आदि हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000

	अन्य खर्च	5,000	–	–	–	–
कुल राशि – 11,66,500		3,00,100	2,22,100	2,22,100	2,22,100	2,22,100

15. खदान की 7.5 मीटर की सीढ़ी सीमा चट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के बाहर और 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
16.38	2%	0.32	Following activities at, Village- Nagghar	
			Plantation around village pond	0.56
			Total	0.56

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "गांव के तालाब के चारों ओर" वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, करंज, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग पौधों के लिए राशि 3,750 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,750 रुपये, खाद के लिए राशि 1,250 रुपये एवं सिंचाई के लिए राशि 4,000 रुपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,000 रुपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 2,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,750 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 37,000 रुपये हेतु पौधरोपण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत नगझर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 474, क्षेत्रफल 1.384 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित किया जाएगा। इस प्रकार भंडारित का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भंडारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराया जाएगा।

19. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों एवं निकटवर्ती आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Mineral Concession Rule) के तहत् बारूमुंडी लिमिटेड द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्त्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:–

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत मई नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर पालीथिन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतों में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार डामीनी को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. गमा संगल तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 1.05 कि.मी. तथा नहर 800 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ मीनर खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S)

Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

29. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की बाध्यकारिता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 700 मीटर, अस्पताल 4.55 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 530 मीटर की दूरी पर है जो कि म.न. गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत कार्य किया जावेगा।

vii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

31. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार बिन्दुओं उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती के ज्ञापन क्रमांक 307/खनि/2023 सक्ती, दिनांक 12/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.537 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नगझर) का क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नगझर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.346 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि में संग्रहित कर भण्डारित किये जाने बाबत् खसरा क्रमांक एवं लीज क्षेत्र की जानकारी को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किये जाने हेतु एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स नगझर लाईम स्टोन माईन (प्रो– श्री लोकेश चन्द्रा) को ग्राम–नगझर, तहसील–मालखरौदा, जिला–सक्ती के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 184 में स्थित चूना पत्थर (लीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–14,850 टन (5,940 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स नगड़ा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री लोकेश चन्द्रा) को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (अर्ड चार्टी) से अनुमोदन उपरान्त आंवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत पांच के तालाब के चारों ओर में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफस सहित आंवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. खनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि में संग्रहित कर भण्डारित किये जाने बाबत् खसरा क्रमांक एवं लीज क्षेत्र की जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदा बाजार के भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

4. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदा बाजार को पत्र लेख किया जाए।

13. मेसर्स चौहारी कर्सी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्री शिव कुमार वर्मा), ग्राम–चौहारी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 3820)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 433748/2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित कर्सी पत्थर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चौहारी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 31, कुल क्षेत्रफल–0.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–6,700 टन (2,304 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के क्रमांक दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिव कुमार यादव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा गवाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
   i. पूर्व में फर्सी पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 31, कुल क्षेत्रफल – 0.8 हेक्टेयर, क्षमता- 5,760 टन (2,304 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 22/11/2018 को जारी की गई।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आवेदन किया गया है।

   प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम अनुसार रिव्हिजन के प्रकरण के लिए चाही गई जानकारी के लिए पैरा क्रमांक 6 में बिंदु 1 से 10 तक में आवश्यक/वांछित प्रपत्रों की सूची में प्रभावित पालन प्रतिवेदन की जानकारी जमा कराए जाने का उल्लेख नहीं है अर्थात् रिव्हिजन के प्रकरणों

में डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है।

अतः डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को एस.ई.आई.ए.ए. के द्वारा रिजेक्शन का प्रकरण है एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित प्रकरण में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं बन रही है। उपरोक्त दोनों ऑफिस मेमोरेंडम पर प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सेल्फ सर्टिफाईड पालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 160 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 665/क/खनि./न.क./2023 महासमुंद, दिनांक 12/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिनांक 01/07/2016 से 31/12/2016 तक	निरंक
2017	450
2018	920
2019	439
2020	366
दिनांक 01/01/2021 से 30/06/2021 तक	90
दिनांक 01/07/2021 से 30/09/2021 तक	निरंक
दिनांक 01/10/2021 से 31/03/2022 तक	495
दिनांक 01/04/2022 से 30/09/2022 तक	15
दिनांक 01/10/2022 से 31/03/2023 तक	815

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पोड़ारी का दिनांक 25/08/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि 10 वर्ष के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का नवीन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 96/क/खनि./न.क./15 महासमुंद, दिनांक 22/01/2016 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 665/क/खनि./न.क./2023 महासमुंद, दिनांक 12/06/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 38.84 हेक्टेयर है।

6. **300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 665/क/खनि /म.क./2023 महासमुंद, दिनांक 12/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज डीड संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज की शिव कुमार साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/06/2013 से 25/06/2023 तक की अवधि हेतु किया थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/06/2023 से 25/06/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/7115 महासमुंद, दिनांक 05/11/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा 12 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पोड़ारी 300 मीटर, स्कूल ग्राम–पोड़ारी 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 7.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.25 कि.मी. दूर है। महानदी 300 मीटर, मौसमी नाला 1.6 कि.मी., तालाब 1.25 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित कार्य योजना अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,69,883 टन (67,953 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 47,758 टन (19,102 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 42,980 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,61,408 टन (64,563 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 39,281 टन (15,712 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,575 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,822 घनमीटर है, जिसमें से 1,242 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 580 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर उत्खनित भाग को पुनःभराव हेतु उपयोग किये जाने के लिए संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन क्रेशर का उपयोग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं है, एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया

जाता है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2023–24	2,182.5
2024–25	2,224.5
2025–26	2,305
2026–27	1,953
कुल	8,664

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 548 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – संलग्न क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र के भीतर 128 वर्गमीटर क्षेत्र (मध्य भाग में) एवं लीज क्षेत्र के भीतर 6.5 मीटर उत्खनन उपरांत 750 वर्गमीटर क्षेत्र (दक्षिणी दिशा) में 3 मीटर की गहराई में उत्खनन किया जाना संभव नहीं होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। उपरोक्त का उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बरबसपुर, पोंड़ारी एवं बुड़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 56.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–पोंड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं पोंड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–पोंड़ारी एवं बुड़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.63 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुलेख किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 865/क/खनि./न.क./2023 महासमुंद, दिनांक 12/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 38.64 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–पोड़ारी) का रकबा 0.8 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 39.64 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार किया उपस्थित सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

14. **मेसर्स सिंह स्टोन माईन्स (प्रो.– श्री रघुराज सिंह), ग्राम–धौरभाठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2523)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसइआई /सीजी /एमआईएन/ 433738/2023, दिनांक 19/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौरभाठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 873, कुल क्षेत्रफल–4.049 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,20,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक 873, कुल क्षेत्रफल–4.049 क्षमता–1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बिलासपुर द्वारा दिनांक 29/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 08/03/2023 की अवधि तक वैध थी।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 857/खनि./न.अ./2023 बिलासपुर, दिनांक 07/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2013–14	71,000
2014–15	71,700
2015–16	71,400
2016–17	72,700

2017–18	48,100
2018–19	89,000
2019–20	75,740
2020–21	71,000
2021–22	1,16,000
2022–23	1,20,000

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पीलखारा का दिनांक 24/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर के ज्ञापन क्र. 2884/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.एन. 18/2018 नया रायपुर, दिनांक 31/05/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 398/ख.नि./न.क./2023 बिलासपुर, दिनांक 12/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 33.117 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 398/ख.नि./न.क./2023 बिलासपुर, दिनांक 12/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में भी सार्वजनिक संरचनाएं जैसे नदी, नाला, क्रीक, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, मंदिर, मस्जिद, मरघट एवं अन्य सार्वजनिक प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई./लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री रघुराज सिंह के नाम पर थी। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 09/03/2003 से 08/03/2023 तक की अवधि हेतु किया थी।

वर्तमान में एल.ओ.आई. की स्थित वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 96/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा वैध माईनिंग प्लान एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तुत करने पर, कर निर्धारण उपरांत समस्त बकाया खनिज राजस्व जमा कराया जाकर, छत्तीसगढ़ गौण नियम, 2016 के नियम 38क(3) के परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में नियमानुसार उत्खनन पट्टा अवधि विस्तारण के लिए पूरक अनुबंध निष्पादन एवं पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बिलासपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी की

जानकारी हेतु उप संचालक (खा.प्रा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 380 दिनांक 12/06/2023 द्वारा वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला–बिलासपुर में दिनांक 12/06/2023 को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सीरपाठा 800 मीटर, स्कूल ग्राम–सीरपाठा 800 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–हिर्री 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 750 मीटर दूर है। महानदी 720 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संभव एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 52,81,547 टन, माईनेबल रिजर्व 17,19,738 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 15,47,762 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,780 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 80 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,20,000	षष्ठम	1,20,000
द्वितीय	1,20,000	सप्तम	1,20,000
तृतीय	1,20,000	अष्टम	1,20,000
चतुर्थ	1,20,000	नवम	1,20,000
पंचम	1,20,000	दशम	1,20,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,356 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 6,780 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ क्षेत्र में 25 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जीव उपबंध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार–

> **"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."**

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मेसर्स शाह स्टोन में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे समिति सहमत हुई।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 तक किया गया।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतीश पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

> **a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**
>
> **b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 388/खनि./न.क./2023 बिलासपुर, दिनांक 12/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 33.117 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धौरामाडा) का रकबा 4.049 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धौरामाडा) को मिलाकर कुल रकबा 37.166 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये संशोधित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन फॉर माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

ix. Project proponent shall submit the NOC from (DFO) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/10/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गवाही का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार **निम्नवत उपस्थित सर्वसम्मति से**

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:-

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

15. मेसर्स लावर क्लिन अर्थ कोल क्वारी माईन एण्ड किला मिनरी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री नरेन्द्र गंगोत्री), ग्राम–लावर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (संचालनालय का नस्ती क्रमांक 2294)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 415863/2023, दिनांक 28/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/04/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण उपरोक्त वांछित जानकारी जुलाई माह में प्रदर्शित हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लावर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक खसरा क्रमांक 125/4, 125/5, 127/4, 128/1, 128/3, 129/1, 129/2, 129/4, 129/5, 130/1 एवं 130/2, कुल क्षेत्रफल–1.43 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की

आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,200 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई–12,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र गंगोत्री, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में लाया गया कि लीज क्षेत्र से निकटतम आबादी ग्राम–लावर 330 मीटर की दूरी में स्थित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना में ईंट भट्टा हेतु जारी दिशा–निर्देश के टिप्पणी क्रमांक 8 के अनुसार "ईंट भट्टों को आवासों और कार्यों के क्षेत्रों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवास, जनसंख्या घनत्व, जल निकायों, संवेदनशील रिसेप्टर्स इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुये स्थापित मापदंडों को सख्त बना सकते हैं।" का उल्लेख है।

उक्त दिशा–निर्देश के तहत् आवेदित खदान से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र तक ईंट भट्टे का निर्माण नहीं किया जाना है।

लीज क्षेत्र से निकटतम आबादी ग्राम–लावर 330 मीटर की दूरी में स्थित है। उक्त दिशा–निर्देश के आधार पर आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं किला किलनी ईंट उत्पादन इकाई से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र छोड़े जाने की स्थिति में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं किला किलनी ईंट उत्पादन इकाई में उत्खनन हेतु बहुत कम क्षेत्र अवशेष होना संभावित है। अतः प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के आवेदित प्रकरण को **डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की** अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/एजेंडा का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स मिनैद सेम्ब माईन–1 (सरपंच, ग्राम पंचायत मिनैद), ग्राम–मिनैद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2466)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431312/2023, दिनांक 29/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण प्रकरण जुलाई माह में प्रदर्शित हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मिरौद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1036, कुल क्षेत्रफल–4.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीनरी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,39,680 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पवन राम चुर्रे, सरपंच, ग्राम पंचायत मिरौद उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मिरौद का दिनांक 24/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – रिवर बेड सेण्ड माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1041/खनिज/उपसं.पी.अनु./रेत/2023–24 उ.ब.कांकेर, दिनांक 24/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1077/खनिज/ख.लि./रेत/2023 कांकेर, दिनांक 28/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1078/खनिज/ख.लि./रेत/2023 कांकेर, दिनांक 28/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. सरपंच, ग्राम पंचायत मिरौद के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 815/खनिज/रेत/2023 कांकेर, दिनांक 10/06/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है। एल.ओ.आई. में "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 नियम 7 के तहत् रेत खदान उत्खनिपट्टा अवधि 5 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है जिसकी

पूर्ति निर्धारित समयावधि में करने पर आवेदन अस्वीकृत किया जावेगा।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, जिला–कांकेर के प्रमाण क्रमांक/म.नि./2023/2077 कांकेर, दिनांक 14/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित रेत उत्खनन क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निर्मोद 630 मीटर, स्कूल ग्राम–निर्मोद 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल–चारामा 2.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 20.4 कि.मी. दूर है। नाला 310 मीटर, तालाब 1 कि.मी., बांध 6.6 कि.मी., एनीकट 2.3 कि.मी. एवं पुल 1.45 कि. मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 400 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई अधिकतम – 405 मीटर, न्यूनतम 401 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 141 मीटर, न्यूनतम 112 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 33 मीटर है।

समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 400 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 125 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 323 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 33 मीटर है। अतः पीर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.08 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,38,650 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की गोताई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.08 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 11/06/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
27.55	2%	0.55	Following activities at nearby Village-Bhiraud	
			Plantation around Pond & AMC for 5 years	0.99
			Total	0.99

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 38 नग पौधों के लिए राशि 3,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,700 रूपये, खाद के लिए राशि 1,900 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 5,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रूपये, अन्य खर्च के लिए राशि 5,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 31,400 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 87,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भिराद के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 548 एवं 549 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट में 1,000 नग वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार दिया गया है:–

विवरण		प्रथम वर्ष (रूपये)	द्वितीय वर्ष (रूपये)	तृतीय वर्ष (रूपये)	चतुर्थ वर्ष (रूपये)	पंचम वर्ष (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी तट में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,00,000	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	1,50,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
	अन्य लागत–साईन	5,000	–	–	–	–

	बोर्ड, रेडियम बार एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
कुल राशि = 15,05,000		5,05,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

17. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में स्थान वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा एवं खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सैंड माईनिंग गाईडलाईन 2018 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

26. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि

एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

28. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे लगाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

29. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे दीर्घ भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–मिर्रौद) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स मिरौद सेण्ड माईन–1 (सरपंच, ग्राम पंचायत मिरौद), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1036, ग्राम–मिरौद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से स्टोकिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स मिरौद सेण्ड माईन–1 (सरपंच, ग्राम पंचायत मिरौद) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी तट में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन निगम द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरुण प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़